कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।

Phone No. 05965/230375- Fax No.230180 Email- dfo.champawat@rediffmail.com

पत्रांक 2375 / 12-1 दिनांक , चम्पावत 11.12. 2024

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः– **जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत किमतोली से कोट मोटर मार्ग के निर्माण हंतु संशोधित 1.995 है0 (पूर्व में 4.925 है0) वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के संबंध में। (प्रस्ताव सं0– FP/UK/ROAD/45289/2020)**

संदर्भः– **अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून की पत्र संख्या 197/12–1 दिनांक 22.07.2024 व अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, पी0एम0जी0एस0वाई, चम्पावत की पत्र संख्या 1423/03-PMGSY दिनांक 10.12.2024।**

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रेषित आख्या निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है–

क्र.सं.	आपत्ति	निराकरण
1	उक्त मोटर मार्ग में सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 3(ख) के क्रम में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र को IFA, 1927 के तहत आरक्षित वन/संरक्षित वनभूमि के रूप में अधिसूचित करना सुनिश्चित करें तथा अधिसूचना की प्रति इस कार्यालय को प्रदान करें।	प्रस्तावक विभाग के अनुसार इस कार्यालय की पत्र संख्या 738/12–1 दिनांक 08.08.2024 के क्रम में अपर सचिव वन अनुभाग–03, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के पत्रांक 1845/X–3–2024–1 (72)/2020, दिनांक 06.12.2024 द्वारा जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत **किमतोली से कोट मोटर मार्ग के निर्माण हंतु संशोधित 1.995 है0** (पूर्व में 4.925 है0) वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र **ग्राम सुल्ला सिविल (3.990 है0)** को IFA, 1927 के तहत आरक्षित वन/संरक्षित वनभूमि के रूप में घोषित किया गया है। जिसकी प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अतः प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुरोध किया गया है कि उक्त प्रकरण पर विधिवत स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(नवीन चन्द्र पन्त)
प्रभागीय वनाधिकारी,
चम्पावत वन प्रभाग,चम्पावत।

पत्रांक 2375/ 12-1 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि–

1. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, पी0एम0जी0एस0वाई, चम्पावत को सूचनार्थ व इस आशय से प्रेषित कि उक्त पत्र अपने विशेष पत्रवाहक के माध्यम से प्रस्ताव अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून तक पहुंचाने का कष्ट करें।

प्रभागीय वनाधिकारी,
चम्पावत वन प्रभाग,चम्पावत।

ई0 पत्रावली संख्या– 79123

उत्तराखण्ड शासन
वन अनुभाग–3
संख्या– 1845/X-3-24/1(72)/2020
देहरादूनः दिनांकः 06 ~~नवम्बर~~ दिसम्बर, 2024

अधिसूचना

राज्यपाल, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या–16 वर्ष 1927) की धारा 29 की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रयोजनार्थ जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत किमतोली से कोट तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु संशोधित 1.995 है0 (पूर्व में 4.925 है0) वनभूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जिलाधिकारी, चम्पावत द्वारा वन विभाग को हस्तान्तरित की गयी राज्य सरकार के स्वामित्व की श्रेणी–9(3)ङ (अन्य कारणों से बंजर भूमि) की 04.664 है0 भूमि में से 03.990 है0 क्षेत्रफल, जिसका विवरण नीचे तालिका में दिया गया है, को वन भूमि के साथ–साथ संरक्षित वन घोषित करते हैं:–

तालिका

क्र0 सं0	जिला	ग्राम	पट्टी	तहसील	खसरा संख्या	चयनित कुल भूमि (है0)	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि (है0)	भूमि की किस्म
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)		(9)
1.	चम्पावत	सुल्ला	रौशाल	लोहाघाट	1230	4.664	**03.990**	उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ङ
						योग–	**03.990**	

संरक्षित क्षेत्र का सीमांकन एवं स्तम्भ निर्माण किया जायेगा।

उपरोक्त क्षेत्र भू–अभिलेखों में वन विभाग के नाम नामान्तरित होने से किसी भी प्रकार की अधिकार एवं रियायतों के दावों से मुक्त है।

(कहकशां नसीम)
अपर सचिव।

Signed by
Kahkashan Naseem
Date: 06-12-2024 13:38:27

संख्याः– 1845/X-3-24/1(72)/2020, तद्दिनांक
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वन महानिरीक्षक, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जोरबाग रोड़, नई दिल्ली।
2. प्रमुख वन संरक्षक (HOFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड, कैम्पा।
6. आयुक्त, कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।
7. वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।
8. जिलाधिकारी, जनपद–चम्पावत।
9. प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।

10. उप जिलाधिकारी, लोहाघाट।
11. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रूड़की को साधारण गजट के विधायी परिशिष्ट खण्ड (ब),भाग–4 में प्रकाशनार्थ।
12. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by
Dhirendra Kumar Singh
Date: 06-12-2024 14:02:42

(धीरेन्द्र कुमार सिंह)
उप सचिव।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, पी०एम०जी०एस०वाई०,
चम्पावत
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, IRRIGATION DIVISION (P.W.D.), CHAMPAWAT
E-Mail: eepmgsychampawat@gmail.com

पत्रांक 1423/03-PMGSY   दिनांक 10/12/2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
चम्पावत वन प्रभाग,
चम्पावत।

विषय :- *जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत किमतोली से कोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु संशोधित 1.995 है० (पूर्व में 4.925 है०) वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव सं० – FP/UK/ROAD/45289/2020)*

सन्दर्भ :- *अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, देहरादून का पत्रांक सं० – 197/12-1 देहरादून, दिनांक –22.07.2024 एवं EDS-10.09.2024*

महोदय,

उपरोक्त विषयक एवं सन्दर्भित पत्र के क्रम में आख्या निम्नानुसार है –

क्र० सं०	आपत्ति	निराकरण
1	उक्त मोटर मार्ग में सैद्धांतिक स्वीकृति की शर्त संख्या–3 (ख) के क्रम में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र को IFA, 1927 के तहत आरक्षित वन/संरक्षित वनभूमि के रूप में अधिसूचित करना सुनिश्चित करें तथा अधिसूचना की प्रति इस कार्यालय को प्रदान करें।	उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत के पत्रांक 738/12–1/चम्पावत, दिनांक 08.08.2024 द्वारा कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊं, वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के पत्रांक 516/12–1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक 21.08.2024 के माध्यम से अपर सचिव वन अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन देहरादून को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र को IFA, 1927 के तहत आरक्षित वन एवं संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित किये जाने के सम्बन्ध में उक्त प्रकरण प्रेषित किया गया है, जिसके क्रम में अपर सचिव, वन अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के पत्रांक–1845/X-3-24/1(72)/2020, दिनांक 06.12.2024 द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र को वन भूमि के साथ–साथ संरक्षित वन घोषित करते हुए अधिसूचना जारी की गयी है। (प्रति संलग्न)

प्राप्त
10-12-2024
प्रा० कार्यालय
व०अ०, चम्पावत

अतः महोदय से अनुरोध है कि उक्त प्रकरण की अनुपालन आख्या विधिवत स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु उच्च स्तर को प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता
सिं०ख०, पी०एम०जी०एस०वाई०, चम्पावत।

OK SU

पत्रांक 1423/03-PMGSY   दिनांक 10/12/2024

प्रतिलिपि :- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
सिं०ख०, पी०एम०जी०एस०वाई०, चम्पावत।

OK SU

प्राप्त
13-12-2024
कार्यालय – अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी

प्रेषित: कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी देहरादून

फौरेस्ट फार्म नं० एफ–८
(प्रान्तीय प्रोभेनसियल)

डाक_ चालान

नम्बर 4443

चालान नम्बर .... स्थान .... से .... को ....

हस्ताक्षर डाक पाने वाले का	डाक विवरण	किसको	डाक की चीज का सिलसिला, नम्बर
	प०-2375/12-1 दिनांक 11/12/24 प्रेषण सहित		

प्राप्त
12-12-2024
कार्यालय – अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
दिनांक ....

हस्ताक्षर ....

दिनाँक 11/12/24

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखंड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक - 516 / 12-1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक 21/08/2024.

सेवा में,

अपर सचिव,
वन अनुभाग-2,
उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

विषय :- जनपद- चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत किमतोली से कोट तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु संशोधित 1.995 है0 (पूर्व में 4.925 है0) वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में प्रस्ताव सं0 45289/2020।

सन्दर्भ :- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र) देहरादून की पत्र सं0 08 बी/यू0सी0पी0/06/74/2020/एफ0सी0 448 दिनांक 07.07.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयगत प्रकरण में प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पातव वन प्रभाग चम्पावत ने अपने कार्यालय पत्रांक 738/12-1 दिनांक 08.08.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं0-01 के संदर्भ में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र को IFA, 1927 के तहत आरक्षित वन/संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित किये जाने के सम्बन्ध में प्रकरण इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, जिसे संलग्न कर आपको अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न- यथोपरि।

भवदीय

(डा0 विनय भार्गव)
वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।

Phone No. 05965/230375- Fax No.230180 Email- dfo.champawat@rediffmail.com

पत्रांक 738 / 12-1 दिनांक , चम्पावत 08.08. 2024

सेवा में,

वन संरक्षक
उत्तरी कुमाऊं वृत्त
उत्तराखण्ड, अल्मोडा।

विषय – जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत किमतोली से कोट तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु संशोधित 1.995 है० (पूर्व में 4.925 है0) वन भूमि कर गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव संख्या– FP/UK/ROAD/45289/2020)

संदर्भ – भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पंत्राक 08बी०/यू०सी०पी०/06/74/2020/एफ0सी0/448 दिनांक 07.07.2024, प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी का पत्रांक 197/12–1 दिनांक 22.07.2024 व अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, पी0एम0जी0एस0वाई0 चम्पावत का पत्रांक 936/03–PMGSY दिनांक 07.08.2024।

महोदय

उपरोक्त संदर्भित पत्रों में सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या –3(ख) के कम में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र को IFA, 1927 के तहत आरक्षित वन/संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित किये जाने के सम्बन्ध में लिखा गया था।

अतः इस वन प्रभाग से चाही गयी सूचना निर्धारित प्रारूप में संलग्न कर सादर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(आर0सी0 काण्डपाल)
प्रभागीय वनाधिकारी,
चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।

पत्रांक 738 / 12-1, 08.08.24 दिनांकित।

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिलाधिकारी महोदय, चम्पावत को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, पी0एम0जी0एस0वाई0 चम्पावत को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।

कार्यालय– प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
Email id: nodalofficerddn@gmail.com Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 197 /12-1 देहरादूनःदिनांक 22 जुलाई, 2024

सेवा मे,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
अल्मोड़ा।

विषय :– जनपद–चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत किमतोली से कोट तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु संशोधित 1.995 है0 (पूर्व में 4.925 है0) वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।
(ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या–FP/UK/ROAD/45289/2020)

संदर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या–8बी0/यू0सी0पी0/06/74/2020/एफ0सी0/448 दिनांक–07.07.2024 (प्रति संलग्न)

महोदय,

भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र की प्रति इस आशय से संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि प्रकरण में निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–3 (ख) के क्रम मे क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र को IFA, 1927 के तहत आरक्षित/संरक्षित वन भूमि के रूप में अधिसूचित कर सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि सूचना अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु भारत सरकार को प्रेषित की जा सके।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।

संख्या:– 197 /12–1 तददिनाँकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।
2. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0, पी0एम0जी0एस0वाई0, चम्पावत।

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।

PMGSY कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,सिंचाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चम्पावत

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, IRRIGATION.DIVISION (P.W.D.), CHAMPAWAT
Phone – fax 05965-230148
E-Mail; eepmgsychampawat@gmail.com

पत्रांक 936/03-PMGSY दिनाँक 07/08/2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
चम्पावत वन प्रभाग,
चम्पावत।

विषय :– *जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत किमतोली से कोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु संशोधित 1.995 है0 (पूर्व में 4.925 है0) वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव सं0 – FP/UK/ROAD/45289/2020)*

सन्दर्भ :– *अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, देहरादून का पत्रांक सं0 – 197/12–1 देहरादून, दिनांक –22.07.2024*

महोदय,

उपरोक्त विषयक एवं सन्दर्भित पत्र के क्रम में आख्या निम्नानुसार है –

क्र0 सं0	आपत्ति	निराकरण
1	उक्त मोटर मार्ग में सैद्धांतिक स्वीकृति की शर्त संख्या–3 (ख) के सन्दर्भ में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र को IFA, 1927 के तहत आरक्षित वन/संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित करना सुनिश्चित करें तथा अधिसूचना की प्रति इस कार्यालय को प्रदान करें।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ली गई 3.990 है0 सिविल भूमि सन् 1983 के राजपत्र के अनुसार यह भूमि संरक्षित वन क्षेत्र है, जिसके सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र की प्रति संलग्न है तथा उक्त भूमि की अमल दरामद राजस्व विभाग से वन विभाग के पक्ष में कर दी गयी है, उक्त के सन्दर्भ में प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक 1566/14–02–97, दिनांक 15 मार्च, 1997 (प्रति संलग्न) द्वारा अपने पत्र में भी स्पष्ट किया गया है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

Recieved. Manu 07/08/24

प्राप्ति कार्यालय प्र0व0अ0, चम्पावत

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता
सिं0ख0, पी0एम0जी0एस0वाई0,
चम्पावत।

पत्रांक 936/03-PMGSY दिनाँक 07/08/2024
प्रतिलिपि :– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
सिं0ख0, पी0एम0जी0एस0वाई0,
चम्पावत।

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखंड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक – 516 / 12–1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक 21/08/2024.

सेवा में,

अपर सचिव,
वन अनुभाग–2,
उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

विषय :– जनपद– चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत किमतोली से कोट तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु संशोधित 1.995 है0 (पूर्व में 4.925 है0) वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में प्रस्ताव सं0 45289 / 2020 ।

सन्दर्भ :– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र) देहरादून की पत्र सं0 08 बी / यू0सी0पी0 / 06 / 74 / 2020 / एफ0सी0 448 दिनांक 07.07.2024 ।

महोदय,

उपरोक्त विषयगत प्रकरण में प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पातव वन प्रभाग चम्पावत ने अपने कार्यालय पत्रांक 738 / 12–1 दिनांक 08.08.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं0–01 के संदर्भ में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र को IFA, 1927 के तहत आरक्षित वन / संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित किये जाने के सम्बन्ध में प्रकरण इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, जिसे संलग्न कर आपको अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न– यथोपरि।

भवदीय

(डा0 विनय भार्गव)
वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।

Phone No. 05965/230375- Fax No.230180 Email- dfo.champawat@rediffmail.com

पत्रांक 738 / 12-1 दिनांक , चम्पावत 08.08. 2024

सेवा में,

वन संरक्षक
उत्तरी कुमाऊं वृत्त
उत्तराखण्ड, अल्मोडा।

विषय – जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत किमतोली से कोट तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु संशोधित 1.995 हे० (पूर्व में 4.925 हे0) वन भूमि कर गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव संख्या– **FP/UK/ROAD/45289/2020)**

संदर्भ – भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पंत्राक 08बी०/यू०सी०पी०/06/74/2020/एफ0सी0/448 दिनांक 07.07.2024, प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी का पत्रांक 197/12–1 दिनांक 22.07.2024 व अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, पी0एम0जी0एस0वाई0 चम्पावत का पत्रांक 936/03–**PMGSY** दिनांक 07.08.2024।

महोदय

उपरोक्त संदर्भित पत्रों में सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या –3(ख) के कम में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र को IFA, 1927 के तहत आरक्षित वन/संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित किये जाने के सम्बन्ध में लिखा गया था।

अतः इस वन प्रभाग से चाही गयी सूचना निर्धारित प्रारूप में संलग्न कर सादर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(आर0सी0 काण्डपाल)
प्रभागीय वनाधिकारी,
चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।

पत्रांक 738 / 12-1, 08.08.24 दिनांकित।

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिलाधिकारी महोदय, चम्पावत को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, पी0एम0जी0एस0वाई0 चम्पावत को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।

(9)

आदेश

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र) 25 सुभाष रोड़ देहरादून के संख्या–8 बी/यू0सी0पी0/06 /74/2020 ए0एफ0सी0/718, दिनांक 24.07.2020 द्वारा प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति एवं तत्कम में उप जिलाधिकारी लोहाघाट से प्राप्त प्रस्ताव/संस्तुति के अनुसार जनपद चम्पावत अन्तर्गत किमतोली से कोट मोटर मार्ग के निर्माण में पड़ने वाली 1.995 हे0 वन भूमि के बदले 3.990 हे0 सिविल भूमि, क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम नामान्तरण/हस्तान्तरण हेतु निम्नवत भूमि प्रस्तावित की गयी है:–

1– क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम–सुल्ला प0क्षे0 रौसाल, तहसील लोहाघाट के खाता संख्या–77 श्रेणी–9(3)ड़0 बंजर काबिल आबाद के खेत/खसरा नं0– 1230 रकवा 4.664 हे0 मध्ये 3.990 हे0 भूमि प्रस्तावित की गयी है।

2– प्रस्तावित् भूमि में कोई धार्मिक, पौराणिक, शमशानघाट, मन्दिर/मस्जिद नहीं है।

3– प्रस्तावित भूमि किसी सार्वजनिक उपयोग की नहीं है।

4– प्रस्तावित सिविल भूमि के पूरब में रौली, पश्चिम में सरहद ग्राम कुनाड़ी, उत्तर में सिविल भूमि सुल्ला तथा दक्षिण में सिविल भूमि सुल्ला है।

5– प्रस्तावित भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को हस्तान्तरित किये जाने में ग्राम वासियों की कोई आपत्ति नहीं है। निरापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।

6– प्रस्तावित भूमि का वन विभाग एवं याचक विभाग के साथ संयुक्त निरीक्षण किया गया है, संयुक्त निरीक्षण प्रमाण पत्र संलग्न है।

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र), 25 सुभाष रोड़ देहरादून द्वारा प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति एवं उप जिलाधिकारी लोहाघाट की संस्तुति के कम में शासनादेश संख्या–2173/XVIII(II)/ 2012–18(120)/2010,दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जनपद चम्पावत अन्तर्गत किमतोली से कोट मोटर मार्ग के निर्माण में पड़ने वाली 1.995 हे0 वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित, ग्राम–सुल्ला प0क्षे0 रौसाल, तहसील लोहाघाट के खाता संख्या–77 श्रेणी–9(3)ड़0 बंजर काबिल आबाद के खेत/खसरा नं0– 1230 रकवा 4.664 हे0 मध्ये 3.990 हे0 भूमि को, वन विभाग के नाम नामान्तरण/हस्तान्तरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उप उपजिलाधिकारी, लोहाघाट स्वीकृत भूमि का क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम भू–अभिलेखों में नामान्तरण एवं हस्तान्तरण कराना सुनिश्चित करेंगे।

दिनांक:– 15.06.2021।

ह0/–
(विनीत तोमर)
जिलाधिकारी, चम्पावत।

कार्यालय जिलाधिकारी चम्पावत।

संख्या–4605/सात–व0भू0–हस्तॉ0(ए0एल0आर0ओ0)/2020–21, दिनॉक 16 जून, 2021।

प्रतिलिपि, निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. अपर मुख्य सचिव(वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड, देहरादून।
2. सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद् उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल ।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग , चम्पावत ।
6. उप जिलाधिकारी लोहाघाट।
7. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड (लो0नि0वि0), पी0एम0जी0एस0वाई0, चम्पावत।
8. तहसीलदार लोहाघाट को मय पत्रावली इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्वीकृत भूमि का वन विभाग के नाम नियमानुसार भू–अभिलेखों में नामान्तरण कर, हस्तान्तरण करना सुनिश्चित करेंगे।

(गोपाल दत्त पाण्डे)
प्रभारी अधिकारी,
कृते,जिलाधिकारी,

कार्यालय तहसीलदार लोहाघाट

संख्या– 852/भूमि–हस्तान्तरण–र0का0/2022 दिनांक 12 सितम्बर, 2022

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग
चम्पावत।

विषय– **जनपद चम्पावत अन्तर्गत किमतोली से कोट मोटर मार्ग के निर्माण में पड़ने वाली 1.995 हे0 वन भूमि के बदले 3.990 हे0 सिविल भूमि, क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम नामान्तरण/हस्तान्तरण के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक जिलाधिकारी महोदय, चम्पावत के आदेश संख्या–4605/सात–व0भू0–हस्तॉ0 (ए0एल0आर0ओ0)/2020–21, दिनांक 16 जून 2021 के द्वारा स्वीकृत, जनपद चम्पावत अन्तर्गत किमतोली से कोट मोटर मार्ग के निर्माण में पड़ने वाली 1.995 हे0 वन भूमि के बदले 3.990 हे0 सिविल भूमि का ग्राम सुल्ला प0क्षे0 रौसाल तहसील लोहाघाट जनपद चम्पावत की गैर जमींदारी विनास खतौनी खाता संख्या– 77 श्रेणी–9(3)ड़ बंजर काबिल आबाद के खेत/खसरा नम्बर 1230 रक्वा 4.664 हे0 मध्ये 3.990 हे0 भूमि का नामान्तरण/हस्तान्तरण वन विभाग के नाम अमल दरामद कर उद्धरण खतौनी तैयार कराने उपरान्त संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अतः उक्तानुसार आख्या अग्रेतर कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

संलग्न– उक्तानुसार

तहसीलदार
लोहाघाट

प्रतिलिपि–

1. जिलाधिकारी महोदय, चम्पावत को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रभागीय वनाधिकारी महोदय, चम्पावत को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

तहसीलदार
लोहाघाट

उद्धरण खतौनी बै० ज० वि० ग्राम- सुल्ला पट्टी- चौसाल तह- लोहाघाट

जनपद - चम्पावत

श्रेणी - 6 (2) क -

खा० सं०	नाम खातेदार	फसली वर्ष	गाटा सं०	रकबा (हेक्टे०)	विशेष विवरण
77	बं० का० आ०	व०	5	0.004	※ जिलाधिकारी महोदय चम्पावत के आदेश संख्या 4605/सात - वन भू० - हस्ता० (आर० एल० आर० ओ०)/ 2020-21, दिनांक 16 जून, 2021 के अनुसार उप मुख्य सचिव (वन) उत्तराखण्ड शासन सुभाष रोड देहरादून के पत्रांक एल- 8बी/ यू० सी० पी०/06/74/2020 एफ० सी०/718, दिनांक 24/07/2020 के तहत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत किमतोली से कोट मोटर मार्ग के निर्माण में पड़ने वाली वन भूमि 1.335 है० के बदले 3.990 है० सिविल भूमि का क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए वन विभाग के नाम म्यूटेशन हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है। उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में उपजिलाधिकारी लोहाघाट द्वारा, अधिशासी अभियन्ता पी० एम० जी० एस० वाई० सिंचाई खण्ड चम्पावत द्वारा प्रस्तुत सिविल भूमि म्यूटेशन प्रस्ताव लेखक का इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार वन भूमि का विवरण निम्न प्रकार है। 1- उक्त परियोजना हेतु ग्राम सुल्ला पट्टी चौसाल तहसील लोहाघाट की बै० ज० वि० खा० खा० सं०-77 श्रेणी - 6(2)क बं० का० आ० के खेत /खसरा नं० 1230 रकबा 4.664 हेक्टेयर से 3.990 है० भूमि प्रस्तावित की गयी है। 2- प्रस्तावित सिविल भूमि में कोई धार्मिक, पौराणिक, शमशान घाट, मन्दिर/मस्जिद नहीं है। 3- प्रस्तावित भूमि किसी सार्वजनिक उपयोग की नहीं है, जिसे हस्तान्तरित किये जाने में ग्राम वासियों की कोई आपत्ति नहीं है, निरापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है। 3- प्रस्तावित सिविल भूमि के पूरब में चौबा, पश्चिम में सरहद कुनाडी, उत्तर में सिविल भूमि सुल्ला तथा दक्षिण में सिविल भूमि सुल्ला है। प्रस्तावित भूमि को वन विभाग के नाम नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने हेतु उपजिलाधिकारी लोहाघाट द्वारा संस्तुति की गयी है, अतः मुख्य सचिव (वन) उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड, देहरादून के द्वारा प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति एवं उपजिलाधिकारी लोहाघाट की संस्तुति के क्रम में
			6	0.014	
		ग्रा०	8	0.058	
			9	0.392	
		व०	— क्रमशः —		
			1227	0.541	
			1230	4.664	
			1232	2.856	
			— क्रमशः —		
			3471	0.571	
			3497	1.173	

क्रमशः पेज 2

उद्धरण खतौनी मौ० ज०वि० ग्राम- सुल्ला पट्टी- सैंसाल तहसील लोहाघाट जनपद - चम्पावत,

श्रेणी- ६ (ख) ड. बंजर काबिल काश्त

ख० खा० सं०	नाम खातेदार	फसली वर्ष	खाता सं०	रकबा (है०)	विशेष विवरण
77		1430 फ०			शासनादेश सं० 2173/XVIII(II)/2012/18(120)/2010, दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 के द्वारा प्रा० प्रतिनिहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जनपद चम्पावत अन्तर्गत किमतोली से कोट मोटर मार्ग के निर्माण में पड़ने वाली 1.995 है० वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण के सम्बन्ध में, ग्राम- सुल्ला पट्टी- सैंसाल, तह- लोहाघाट के खाता संख्या- 77 श्रेणी- ६(ख) ड० ब० का० काश्त के खेत न० 1230 रकबा 4.664 है० मध्ये 3.990 है० भूमि को, वन विभाग के नाम नामान्तरण/हस्तान्तरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है, जरिये आदेश के अमलदरामद किया है। ह० अ० RK 11-09-22 ह० अ० यु० उपनिरीक्षक सैंसाल 11/09/22
				124.057	
		योग	224	124.057	

मैंअदय, मूल खतौनी से खतौनी उद्धरण तैयार किया।

मैंअदय, सत्यापित किया।

[signature] ग्रा० वि० सुल्ला 12/09/022

[signature] 11/09/2022 यु० उ० नि० सैंसाल

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत।

Email-dfo.champawat@rediffmail.com

पत्रांक /   चम्पावत, दिनांक 11-10-2023

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषयः– **जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत किमतोली से कोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.995 हे0 (पूर्व में 4.925 है0) वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में ।(Proposal No-FP\UK\ROAD\45289\2020)**

संदर्भः– **अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड, (लो0नि0वि0) चम्पावत की पत्र संख्या 1226/03–PMGSY दिनांक 04.10.2023।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम प्रश्नगत मोटर मार्ग में भारत सरकार की पत्र संख्या 8बी/यू0सी0पी0/06/74/2020/एफ0सी0/585 दिनांक 27.07.2023 से एक बिन्दु की आपत्ति प्रस्तुत की गई है जिसका अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड (लो0नि0वि0) चम्पावत द्वारा सन्दर्भित पत्र द्वारा निराकरण कर अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई है जिसके आधार पर अनुपालन आख्या निम्न प्रकार से प्रेषित की जा रही है –

क्र0सं0	आपत्तियां	निराकरण
1	उक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रस्ताव की सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या में Online KML File के अवलोकन उपरान्त मार्ग के पास कुछ वनस्पतियों को हुए नुकसान का आकलन करने के सम्बन्ध में।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि उपरोक्त विषयक मोटर मार्ग के समरेखण में आरक्षित वन भूमि का क्षेत्रफल शून्य है0, सिविल सोयम वन भूमि 1.995 है0 व नाप भूमि 5.088 है0 है। चूंकि मार्ग निर्माण हुए डेढ़ वर्ष पूर्ण हो चुका है, जिस पर दो मानसून अवधियां पूर्ण हो चुकी हैं। मानसून अवधि एव समय–समय पर हुई वर्षा से मार्गों पर पहाडी भाग मे अस्थिर हुए घाटी वाले भाग में पानी के साथ बह जाती है, जिस कारण उक्त मोटर मार्ग का क्षेत्र Online KML File द्वारा देखे जाने पर जगह–जगह मलुवा होना प्रतीत हो रहा है, निर्माण कार्य के दौरान मक डिस्पोजल हेतु चयनित भूमि नाप भूमि है। अतः प्रस्तावित समरेखण पर वन सम्पदा का किसी भी प्रकार नुकसान नहीं हुआ है, उक्त क्षेत्र पूर्ण रूप से (कि0 मी0 0.000 से कि0 मी0 2.500तक सिविल वन भूमि) वनस्पति विहीन है तथा सम्पूर्ण समरेखण में वृक्षों की संख्या शून्य है, जिस कारण वन सम्पदा के नुकसान का कोई प्रश्न ही नहीं है, उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में निरीक्षणोपरान्त प्रमाण–पत्र संलग्न है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार सूचना अपने स्तर से अपर प्रमुख एवं नोडल अधिकारी भूमि संरक्षण निदेशालय, देहरादून को प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार 4 प्रतियों में।

भवदीय,

(आर.सी.काण्डपाल)
प्रभागीय वनाधिकारी,
चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत।

पत्रांक 1857 /12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपिः– अधिशासी अभियन्ता, सिचाईं खण्ड, लो0नि0वि0, PMGSY चम्पावत को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत।

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद – चम्पावत में किमतोली से कोट मोटर मार्ग के समरेखण में आरक्षित वन भूमि का क्षेत्रफल शून्य है0, सिविल सोयम वन भूमि 1.995 है0 व नाप भूमि 5.088 है0 है। निर्माण कार्य के दौरान मक डिस्पोजल हेतु चयनित भूमि नाप भूमि है। चूंकि मार्ग निर्माण हुए डेढ़ वर्ष पूर्ण हो चुका है, जिस पर दो मानसून अवधियां पूर्ण हो चुकी हैं। मानसून अवधि एवं समय–समय पर हुई अतिवृष्टि से मार्गों पर पहाड़ी भाग में अस्थिर हुए क्षेत्रों की मिट्टी एकत्रित होते हुए मार्ग के घाटी वाले भाग में पानी के साथ बह जाती है, जिस कारण उक्त मोटर मार्ग का क्षेत्र Uploaded KML द्वारा देखे जाने पर जगह–जगह मलुवा होना प्रतीत हो रहा है, चूंकि उक्त क्षेत्र पूर्ण रूप से (कि0मी0 0.000 से कि0मी0 2.500 तक सिविल वन भूमि) वनस्पति विहीन है तथा सम्पूर्ण समरेखण में वृक्षों की संख्या शून्य है एवं उक्त मोटर मार्ग के समरेखण के अन्तर्गत वनस्पति व वन सम्पदा को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है।

सहायक अभियन्ता,
सिं0ख0, पी0एम0जी0एस0वाई0, चम्पावत।

(नवाव नमाथं ...)
वन दरोगा
लोहाघाट अनुभाग

अधिशासी अभियन्ता,
सिं0ख0, पी0एम0जी0एस0वाई0, चम्पावत।

प्रभागीय वनाधिकारी,
चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।

वन क्षेत्राधिकारी
वन क्षेत्र–लोहाघाट
वन प्रभाग चम्पावत

प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत

PMGSY कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,सिंचाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चम्पावत

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, IRRIGATION.DIVISION (P.W.D.), CHAMPAWAT
Phone – fax 05965-230148 E-Mail; eepmgsychampawat@gmail.com

पत्रांक 1226 / 03-PMGSY दिनॉंक 04 / 10 / 2023

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
चम्पावत वनप्रभाग,
चम्पावत।

विषय :– *जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत किमतोली से कोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.995 हे0 (पूर्व में 4.925 है0) वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में। (Online N0- FP/UK/ROAD/45289/2020)*

सन्दर्भ :– *भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून का पत्र सं0 8बी/यू0सी0पी0/06/74/2020/एफ0सी0/585, दिनांक 27.07.2023*

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में बिन्दुवार आख्या निम्नवत् प्रेषित है –

क्र0 सं0	आपत्तियां	निराकरण
1	उक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रस्ताव की सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या में Online KML File के अवलोकन उपरान्त मार्ग के पास कुछ स्थानों पर मलुवा निस्तारण से वृक्षों एवं वनस्पतियों को हुए नुकसान का आंकलन करने के सम्बन्ध में।	1– उपरोक्त विषयक मोटर मार्ग के समरेखण में आरक्षित वन भूमि का क्षेत्रफल शून्य है0, सिविल सोयम वन भूमि 1.995 है0 व नाप भूमि 5.088 है0 है। चूंकि मार्ग निर्माण हुए डेढ़ वर्ष पूर्ण हो चुका है, जिस पर दो मानसून अवधियां पूर्ण हो चुकी हैं। मानसून अवधि एवं समय–समय पर हुई वर्षा से मार्गों पर पहाड़ी भाग में अस्थिर हुए क्षेत्रों की मिट्टी एकत्रित होते हुए मार्ग के घाटी वाले भाग में पानी के साथ बह जाती है, जिस कारण उक्त मोटर मार्ग का क्षेत्र Online KML File द्वारा देखे जाने पर जगह–जगह मलुवा होना प्रतीत हो रहा है, निर्माण कार्य के दौरान मक डिस्पोजल हेतु चयनित भूमि नाप भूमि है। अतः प्रस्तावित समरेखण पर वन सम्पदा का किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है, उक्त क्षेत्र पूर्ण रूप से (कि0मी0 0.000 से कि0मी0 2.500 तक सिविल वन भूमि) वनस्पति विहीन है तथा संम्पूर्ण समरेखण में वृक्षों की संख्या शून्य है, जिस कारण वन सम्पदा के नुकसान का कोई प्रश्न ही नहीं है, **उपरोक्त के परिपेक्ष्य में निरीक्षणोपरान्त प्रमाण–पत्र संलग्न है।**

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड,(लो0नि0वि0)चम्पावत।

O/C

पत्रांक 1226 /03 पी0एम0जी0एस0वाई0 दिनॉंक 04 /10/2023

प्रतिलिपि :– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

4-10-23
प्राप्ति कार्यालय
प्र0व0अ0, चम्पावत

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0, चम्पावत।

O/C

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय /
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून /
Regional Office, Dehradun
25 सुभाष रोड, देहरादून-248001/ 25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
दूरभाष/ PHONE-0135-2650809, ईमेल/ E-mail-moef.ddn@gov.in

सत्यमेव जयते

प्रकृति रक्षति रक्षिता
Nature Protects if She is Protected

पत्र सं0 8बी/यू.सी.पी./06/74/2020/एफ.सी./ 595 | दिनांक:27/07/2023

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:-चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत किमतोली से कोट तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु संशोधित 1.995 है0 (पूर्व में 4.925 है0) वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online Proposal No. FP/UK/ROAD/45289/2020)

सन्दर्भ:- कार्यालय- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक – 2876/FP/UK/ROAD/45289/2020 दिनांक 12.06.2023 (Received online on 18-07-2023)

महोदय,

उपर्युक्त प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि इस कार्यालय के पत्र दिनांक 24.07.2020 द्वारा प्रस्ताव में प्रदान की गई सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गई है। केएमएल फाइल के अवलोकन उपरान्त यह ज्ञात हुआ है कि मार्ग के पास कुछ स्थानों पर अनियमित रूप से मलबा निस्तारण किया गया है। राज्य सरकार से अनुरोध है कि वह मामले की जांच करे तथा वृक्षों एवं वनस्पति को हुए नुकसान का आंकलन करते हुए इस संबंध में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट इस कार्यालय को प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

उपरोक्त बिन्दुओं पर जवाब प्राप्ति के उपरांत ही प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी ।

भवदीय,

(डा0 योगेश गैरोला)
तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. अपर मुख्य सचिव (वन) उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड़, देहरादून।

(डा0 योगेश गैरोला)
तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

LiFE
Lifestyle for

PMGSY कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,सिंचाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चम्पावत

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, IRRIGATION.DIVISION (P.W.D.), CHAMPAWAT

Phone – fax 05965-230148 E-Mail; eepmgsychampawat@gmail.com

पत्रांक ..146...../03-PMGSY दिनाँक ..02../02/2023

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
चम्पावत वनप्रभाग,
चम्पावत।

विषय :– *जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत किमतोली से कोट मोटर मार्ग, लम्बाई 7.500 कि0मी0 के निर्माण हेतु 1.995 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।*

सन्दर्भ :– *भारत सरकार का पत्र सं0 8बी/यू0सी0पी0/06/74/2020/एफ0सी0/718, दिनांक 24.07.2020*

महोदय,

उपरोक्त विषयक एवं सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि किमतोली से काट मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.99 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम विकास विभाग को प्रत्यावर्तन करने के लिए शासनादेश सं0 8बी/यू0सी0पी0/06/74/2020/एफ0सी0/718, दिनांक 24.07.2020 में निहित प्राविधानों द्वारा उल्लेखित की गयी शर्तो पर की गयी कार्यवाही निम्न प्रकार है।

क्र0 सं0	भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत शर्तें	कृत कार्यवाही
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।	शर्तानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।(प्रमाण–पत्र संलग्न पृष्ठ सं0 – 4)
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जायेगी।	शर्तानुसार गैर वानिकी भूमि ग्राम – सुल्ला, सिविल भूमि कुल 3.990 है0 भूमि वन विभाग को सौंपी जायेगी।
3	**प्रतिपूरक वनीकरण –** क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 3.99 है0 गैर वानिकी भूमि ग्राम सुल्ला सिविल खसरा नं0 1204, 1230, 1232 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा, जहां तक व्यवहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें। ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं रूपान्तरित किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। Guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर हैं एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक हैश्चात भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है। ग) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	शर्तानुसार वांछित प्रमाण पत्र संलग्न हैं।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण , सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए	प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वनप्रभाग, चम्पावत के पत्रांक संख्या 331/12–1, चम्पावत, दिनांक 28.07.2020 के द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों के रख–रखाव हेतु वर्ष 2020–21 के लिए निर्धारित दर रू0 337184.00 मात्र प्रति हे0 की दर से कुल धनराशि रू0 1345364.00 की मांग के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दिनांक 24.07.2020 को वांछित धनराशि जमा की जा चुकी है, जिसकी ऑनलाइन Transaction Acknowledgement slip तथा Online Payment History Slip संलग्न है।(पृष्ठ सं0 – 21–23)

<table>
<tr><td></td><td>जा सकते हैं।</td><td></td></tr>
<tr><td>5
(क)

(ख)</td><td>शुद्ध वर्तमान मूल्य
इस सम्बन्ध में भारत के मा0 सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या – 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ0सी0 (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ0सी0, दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007 –एफ0सी0, दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 1.995 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।

विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।</td><td>शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दिनांक 22.01.2021 को जमा की जा चुकी है, जिसकी ऑनलाइन Transaction Acknowledgement slip तथा Online Payment History Slip संलग्न कर है।
<table>
<tr><th>फेज</th><th>प्रस्ताव का नाम</th><th>जनपद</th><th colspan="2">देय धनराशि</th><th>योग</th></tr>
<tr><th></th><th></th><th></th><th>एन.पी.वी.</th><th>प्रतिपूरक वनीकरण</th><th></th></tr>
<tr><td>XIX</td><td>किमतोली से कोट मोटर मार्ग</td><td>चम्पावत</td><td>1310715.00</td><td>1345364.00</td><td>2656079.00</td></tr>
</table>

एन0पी0वी0 की वचनबद्धता का प्रमाण पत्र संलग्न है।
(पृष्ठ सं0 – 24)</td></tr>
<tr><td>6</td><td>प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि में प्रस्ताव के अनुसार किसी भी प्रकार के वृक्ष नहीं काटे जायेंगे।</td><td>शर्तानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।(प्रमाण पत्र संलग्न पृष्ठ सं0 – 25–26)</td></tr>
<tr><td>7</td><td>State Government will inform to this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage II approval as per guideline para 11.2. The State Govt. will strictly moniter and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.</td><td>शर्तानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।</td></tr>
<tr><td>8</td><td>State Gorvement will submit the muck disposal plan proposed in Non-Forest land.</td><td>प्लान संलग्न है।(पृष्ठ सं0 – 27–29)</td></tr>
<tr><td>9</td><td>As per Guideline dated 08-11-2017 in case it is not possible to rise plantation at the rate of 1000 plants per Ha. Then the balance plants shell be planted on degraded forest as per working plan prescription. In this regard. State Govt. will submit the plantation scheme to this office.</td><td>Required certificate by D.F.O Champawat is attached. (पृष्ठ सं0 – 30–31)</td></tr>
<tr><td>10</td><td>परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानान्तरित/जमा किए जायेंगे।</td><td>एन0पी0वी0 एवं प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा धनराशि जमा की जा चुकी है।(प्रति संलग्न पृष्ठ सं0 – 21–23) बिन्दु सं0 4 एवं 5 में इंगित है।</td></tr>
<tr><td>11</td><td>एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण–पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।</td><td>शर्तानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।(प्रमाण पत्र संलग्न पृष्ठ सं0 – 32–37)</td></tr>
<tr><td>12</td><td>प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों–बीच पौधों की संख्या बढ़ाएगा।</td><td>Strip Plantation हेतु प्रमाण पत्र संलग्न है।(पृष्ठ सं0 – 38)</td></tr>
<tr><td>13</td><td>संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाये जायेंगे।</td><td>शर्तानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।</td></tr>
<tr><td>14</td><td>पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।</td><td>शर्तानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।</td></tr>
<tr><td>15</td><td>केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।</td><td>शर्तानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।(प्रमाण–पत्र संलग्न पृष्ठ सं0 – 39)</td></tr>
<tr><td>16</td><td>वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।</td><td>शर्तानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।(प्रमाण–पत्र संलग्न पृष्ठ सं0 – 40)</td></tr>
<tr><td>17</td><td>प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी श्रोत से पर्याप्त लकड़ी विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा।</td><td>शर्तानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।(प्रमाण–पत्र संलग्न पृष्ठ सं0 – 41)</td></tr>
</table>

18	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जायेगा।	शर्तानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।(प्रमाण–पत्र संलग्न पृष्ठ सं0 – 42)
19	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।	शर्तानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।(प्रमाण–पत्र संलग्न पृष्ठ सं0 – 43)
20	इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ जो भी कम हो, लक्षित किया जायेगा।	शर्तानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
21	वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।	शर्तानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।(प्रमाण–पत्र संलग्न पृष्ठ सं0 – 44)
22	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंशियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।	शर्तानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।(प्रमाण–पत्र संलग्न पृष्ठ सं0 – 45)
23	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	उपरोक्त सभी शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया जायेगा।(प्रमाण–पत्र संलग्न पृष्ठ सं0 – 46)
24	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें प्रयोक्ता अभिकरण को मान्य होंगी।
25	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलुवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलुवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जायेगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलुवा नहीं फेंका जायेगा।	शर्तानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।(प्रमाण–पत्र संलग्न पृष्ठ सं0 – 47–49)
26	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंन्सी की जिम्मेदारी होगी।	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंन्सी द्वारा ली जायेगी।
27	अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in) पर अपलोड की जायेगी।	शर्तानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार 04 प्रतियों में।

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड,(लो0नि0वि0)चम्पावत।

पत्रांक 146/03-PMGSY दिनाँक 02/02/2023

प्रतिलिपि :– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

Recd 02/02/23

प्राप्ति कार्यालय प्र0व0अ0, चम्पावत

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0, चम्पावत।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत।

Email-dfo_champawat@rediffmail.com

पत्रांक / चम्पावत, दिनांक 19-4- 2023

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषयः— **जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत किमतोली से कोट मोटर मार्ग, लम्बाई 7.50 कि0मी0 के निर्माण हेतु 1.995 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।**

संदर्भः— **अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0, चम्पावत की पत्र संख्या—146/03—पी0एम0जी0एस0वाई0 दिनांक 30.11.2022।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में जनपद चम्पावत के अन्तर्गत किमतोली से कोट मोटर मार्ग, लम्बाई 7.50 कि0मी0 के निर्माण हेतु 1.995 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन में भारत सरकार की पत्र संख्या 8बी/यू0सी0पी0/06/74/2020/एफ0सी0/718 दिनांक 24.07.2020 से प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति के 27 बिन्दु की अधिरोपित शर्तो का अधिशासी अभियन्ता, सिचाई खण्ड, लो0नि0वि0, चम्पावत द्वारा अनुपालन कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराई गई है। जिसके आधार पर अनुपालन आख्या निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है—

क्र.स.	भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत शर्तें	अनुपालन आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि शर्तानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। **(प्रमाण—पत्र संलग्न पृष्ठ सं0—4)**
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्तानुसार गैर वानिकी भूमि ग्राम—सुल्ला, सिविल भूमि कुल 3.990 है0 भूमि वन विभाग को सौंप दी गई है।
3	**प्रतिपूरक वनीकरण —** **क)** वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 3.99 है0 गैर वानिकी भूमि ग्राम सुल्ला सिविल खसरा नं0 1204, 1230, 1232 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा, जहां तक व्यवहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें। **ख)** गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं रूपान्तरित किया जायेगा। भूमि के हस्तांतरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। Guideline para 2.4(i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर हैं एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात	**प्रतिपूरक वनीकरण —** **क)** वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 3.99 है0 गैर वानिकी भूमि ग्राम सुल्ला सिविल खसरा नं0 1204, 1230, 1232 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा, जहां तक व्यवहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाएगा तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचा जायेगा। **संलग्न—5** **ख)** गैर वानिकी भूमि 3.99 है0 गैर वानिकी भूमि ग्राम सुल्ला सिविल खसरा नं0 1204, 1230, 1232 को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं रूपान्तरित कर दिया गया है।वर्ष 1893 के राजपत्र के अनुसार यह भूमि संरक्षित वन क्षेत्र है तथा भूमि का अमल दारामद राजस्व विभाग से वन विभाग के पक्ष में कर दिया गया है एवं इसकी वर्तमान स्थिति संरक्षित वन की है। इस हेतु इस भूमि को पृथक से संरक्षित वन क्षेत्र घोषित किये जाने की आवश्यकता नहीं है। **संलग्न—6,8,9,10,11,12 एवं 13**

<table>
<tr><td></td><td>भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है। पश्चात भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।
ग) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।</td><td>ग) उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है। प्रमाण पत्र संलग्न है। संलग्न–7</td></tr>
<tr><td>4</td><td>प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।</td><td>प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत के पत्रांक संख्या 331/12–1, चम्पावत दिननांक 28.07.2020 के द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो के रख–रखाव हेतु वर्ष 2020–21 के लिए निर्धारित दर रू0 337184.00 मात्र प्रति हे0 की दर से कुल धनराशि रू0 1345364.00 की मांग के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दिनांक 24.07.2020 को वांछित धनराशि जमा की जा चुकी है जिसकी ऑनलाईन Transaction Acknowledgement slip तथा Online Payment History Slip संलग्न है। (संलग्न–पृष्ठ सं0–21 से 23)</td></tr>
<tr><td>5</td><td>शुद्ध वर्तमान मूल्य
क) इस सम्बन्ध में भारत के मा0 सर्वोच्च न्यायालय के WPC संख्या–202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ0सी0 (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ0सी0 दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ0सी0, दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 1.998 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।
ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।</td><td>प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि (क) शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दिनांक 22.01.2021 को जमा की जा चुकी है, जिसकी Online Transction acknowledgement slip तथा Online Payment History Slip संलग्न है।
<table>
<tr><td>फेज</td><td>प्रस्ताव का नाम</td><td>जनपद</td><td colspan="2">देय धनराशि</td><td>योग</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>एन0पी0वी0</td><td>प्रतिपूरक वनीकरण</td><td></td></tr>
<tr><td>XIX</td><td>किमतोली से कोट मोटर मार्ग</td><td>चम्पावत</td><td>1310715.00</td><td>1345364.00</td><td>2656079.00</td></tr>
</table>
एन0पी0वी0 की वचनबद्धता का प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्न पृष्ठ सं0 – 21 से 24)</td></tr>
<tr><td>6</td><td>प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि में प्रस्ताव के अनुसार किसी भी प्रकार के वृक्ष नहीं काटे जायेंगे।</td><td>प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि शर्तानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। प्रमाण पत्र संलग्न है। संलग्न–26</td></tr>
<tr><td>7</td><td>State Government will inform to this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage II approval as per guideline para 11.2, The State Govt. will strictly moniter and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.</td><td>शर्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।</td></tr>
<tr><td>8</td><td>State Government will submit the muck disposal plan proposed in Non-Forest land.</td><td>प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्लान संलग्न है। (संलग्न पृष्ठ सं0 – 27–29)</td></tr>
</table>

9	As per Guideline dated 08-11-2017 in case it is not possible to rise plantation at the rate of 1000 Plants per Ha. Then the balance plants shell be planted on degraded forest as per working plan prescription. In this regard. State Govt. will submit the plantation scheme to this office.	Required certificate by D.F.O Champawat is attached. **(संलग्न पृष्ठ सं0 – 30–31)**
10	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानान्तरित / जमा किए जायेंगे।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि एन0पी0वी0 एवं प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा धनराशि जमा की जा चुकी है **(प्रति संलग्न पृष्ठ सं0 – 21–23)** बिन्दु सं0 4 एवं 5 में इंगित है।
11	एफआरए. 2006 का पूर्ण अनुपालन संबन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण–पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि शर्तानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा **(प्रमाण पत्र संलग्न पृष्ठ सं0 – 32–37)**
12	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों–बीच पौधों की संख्या बढ़ाएगा।	Strip Plantation हेतु प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्न पृष्ठ सं0 38)**
13	संरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियम साइनेज लगाये जायेंगे।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि शर्तानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
14	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि शर्तानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
15	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि शर्तानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**(प्रमाण पत्र संलग्न पृष्ठ सं0– 39)**
16	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि शर्तानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**(प्रमाण पत्र संलग्न पृष्ठ सं0– 40)**
17	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विभाग निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी श्रोत से पर्याप्त लकड़ी विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि शर्तानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**(प्रमाण पत्र संलग्न पृष्ठ सं0– 41)**
18	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रतयावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि शर्तानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**(प्रमाण पत्र संलग्न पृष्ठ सं0– 42)**
19	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि शर्तानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**(प्रमाण पत्र संलग्न पृष्ठ सं0– 43)**
20	इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ जो भी कम हो, लक्षित किया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि शर्तानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
21	वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि शर्तानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**(प्रमाण पत्र संलग्न पृष्ठ सं0– 44)**
22	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि शर्तानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**(प्रमाण पत्र संलग्न पृष्ठ सं0– 45)**
23	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि उपरोक्त सभी शर्तो का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं

	फाइल संख्या 11–42/2017–एफ.सी. दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	किया जायेगा। **(प्रमाण पत्र संलग्न पृष्ठ सं0–46)**
24	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होंगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते प्रयोक्ता अभिकरण को मान्य होगी।
25	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलुवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलुवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जायेगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलुवा नहीं फेंका जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि उपरोक्त सभी शर्तो का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया जायेगा। **(प्रमाण पत्र संलग्न पृष्ठ सं0–47–49)**
26	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंन्सी की जिम्मेदारी होगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंन्सी की जिम्मेदारी होगी।
27	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in) पर अपलोड की जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि शर्तानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार सूचना अपने स्तर से अपर प्रमुख एवं नोडल अधिकारी भूमि संरक्षण निदेशालय, देहरादून को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार 4 प्रतियों में।

भवदीय,

(आर.सी.काण्डपाल)
प्रभागीय वनाधिकारी,
चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत।

पत्रांक 3632 /12-1 **दिनांकित।**

प्रतिलिपिः– अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0, चम्पावत को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत।

प्रमाण–पत्र

कार्य का नाम – जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत किमतोली से कोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.995 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त मोटर मार्ग में प्रभावित होने वाली वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।

सहायक अभियन्ता
सि०ख०, लो०नि०वि०
पीएमजीएसवाई, चम्पावत

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, लो०नि०वि०
चम्पावत

प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत किमतोली से कोट मोटर मार्ग का निर्माण हेतु 1.995 हे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किया जाना है। उपरोक्त कार्य हेतु 3.990 हे0 सिविल भूमि ग्राम—सुल्ला, प0क्षे0—रौशाल, तहसील—लोहाघाट व जनपद—चम्पावत के 77, श्रेणी 9(3)ड0बं0का0आ0 के खेत/खसरा नं0 1230 रकवा 4.664 हे0 मध्ये 3.990 हे0 **कुल 3.990 हे0** सिविल भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को हस्तान्तरित की गयी है। सन् 1983 की राजपत्र के अनुसार यह भूमि संरक्षित वनक्षेत्र है तथा उक्त भूमि की अमल दरामद राजस्व विभाग से वन विभाग के पक्ष में कर दिया गया है एवं इसकी वर्तमान स्थिति संरक्षित वन की है। इस भूमि को पृथक से संरक्षित वन क्षेत्र घोषित किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग
चम्पावत।

प्रमाण पत्र

(सैद्धान्तिक स्वीकृति के बिन्दु सं0–03 (ग) के अनुसार)

प्रमाणित किया जाता है जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत किमतोली से कोट तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य कार्यदायी संस्था पी0एम0जी0एस0वाई0, सिं0ख0, लो0नि0वि0, चम्पावत द्वारा किया जाना है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र गैरवानिकी ग्राम–भूमि सुल्ला सिविल, क्षे0 3.990 हे0 है, उक्त क्षेत्र क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वनाच्छादित नहीं है, क्षेत्र झाड़ीनुमा व रिक्त है।

अतः उक्त क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण का कार्य वन प्रभाग, चम्पावत द्वारा नहीं किया गया है एवं उक्त क्षेत्र क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु सर्वथा उपयुक्त है।

हस्ताक्षर

वन क्षेत्राधिकारी,
वनक्षेत्र–लोहाघाट

हस्ताक्षर

प्रभागीय वनाधिकारी,
चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।

:: कब्जा प्रमाण पत्र ::

परियोजना का नामः– **जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत किमतोली से कोट मोटर मार्ग का निर्माण।**

उपरोक्त परियोजना के निर्माण में 1.995 हे0 वनभूमि प्रभावित हो रही है, क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दोगुने क्षेत्रफल 3.990 हे0 सिविल भूमि ग्राम–सुल्ला, प0क्षे0–रौशाल, तहसील–लोहाघाट व जनपद–चम्पावत के 77, श्रेणी 9(3)ड0बं0का0आ0 के खेत/खसरा नं0 1230 रकबा 4.664 हे0 मध्ये 3.990 हे0 **कुल 3.990 हे0** जिलाधिकारी चम्पावत के आदेश सं0–4605/सात–व0भू0–भूमि हस्तॉ0(ए0एल0आर0ओ0)/2020–21 दिनांक – 16 जून 2021 के क्रम में तहसीलदार लोहाघाट द्वारा पत्र सं0– 852/भू–हस्तान्तरण (र0का0)/2022, दिनांक – 12.09.2022 के द्वारा उक्त याचित भूमि का नामान्तरण/हस्तान्तरण वनविभाग के नाम कर दिया गया है, जिसका अमल दरामद भी वनविभाग के नाम हो चुका है। उक्त सिविल भूमि वन विभाग द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वनविभाग के कब्जे में ले ली गयी है।

वनक्षेत्राधिकारी
लोहाघाट वनक्षेत्र।

प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत।

आदेश

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र) 25 सुभाष रोड़ देहरादून के संख्या–8 बी/यू0सी0पी0/06 /74/2020 ए0एफ0सी0/718, दिनांक 24.07.2020 द्वारा प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति एवं तत्क्रम में उप जिलाधिकारी लोहाघाट से प्राप्त प्रस्ताव/संस्तुति के अनुसार जनपद चम्पावत अन्तर्गत किमतोली से कोट मोटर मार्ग के निर्माण में पड़ने वाली 1.995 हे0 वन भूमि के बदले 3.990 हे0 सिविल भूमि, क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम नामान्तरण/हस्तान्तरण हेतु निम्नवत भूमि प्रस्तावित की गयी है:–

1– क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम–सुल्ला प0क्षे0 रौसाल, तहसील लोहाघाट के खाता संख्या–77 श्रेणी–9(3)ड़0 बंजर काबिल आबाद के खेत/खसरा नं0– 1230 रकवा 4.664 हे0 मध्ये 3.990 हे0 भूमि प्रस्तावित की गयी है।

2– प्रस्तावित भूमि में कोई धार्मिक, पौराणिक, शमशानघाट, मन्दिर/मस्जिद नहीं है।

3– प्रस्तावित भूमि किसी सार्वजनिक उपयोग की नहीं है।

4– प्रस्तावित सिविल भूमि के पूरब में रौली, पश्चिम में सरहद ग्राम कुनाड़ी, उत्तर में सिविल भूमि सुल्ला तथा दक्षिण में सिविल भूमि सुल्ला है।

5– प्रस्तावित भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को हस्तान्तरित किये जाने में ग्राम वासियों की कोई आपत्ति नहीं है। निरापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।

6– प्रस्तावित भूमि का वन विभाग एवं याचक विभाग के साथ संयुक्त निरीक्षण किया गया है, संयुक्त निरीक्षण प्रमाण पत्र संलग्न है।

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र), 25 सुभाष रोड़ देहरादून द्वारा प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति एवं उप जिलाधिकारी लोहाघाट की संस्तुति के कम में शासनादेश संख्या–2173/XVIII(II)/ 2012–18(120)/2010,दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जनपद चम्पावत अन्तर्गत किमतोली से कोट मोटर मार्ग के निर्माण में पड़ने वाली 1.995 हे0 वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित, ग्राम–सुल्ला प0क्षे0 रौसाल, तहसील लोहाघाट के खाता संख्या–77 श्रेणी–9(3)ड़0 बंजर काबिल आबाद के खेत/खसरा नं0– 1230 रकवा 4.664 हे0 मध्ये 3.990 हे0 भूमि को, वन विभाग के नाम नामान्तरण/हस्तान्तरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उप उपजिलाधिकारी, लोहाघाट स्वीकृत भूमि का क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम भू–अभिलेखों में नामान्तरण एवं हस्तान्तरण कराना सुनिश्चित करेंगे।

दिनांक:– 15.06.2021।

ह0/–
(विनीत तोमर)
जिलाधिकारी, चम्पावत।

कार्यालय जिलाधिकारी चम्पावत।

संख्या–4605/सात–व0भू0–हस्तॉ0(ए0एल0आर0ओ0)/2020–21, दिनॉक 16 जून, 2021।

प्रतिलिपि, निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. अपर मुख्य सचिव(वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड, देहरादून।
2. सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद् उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल ।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग , चम्पावत ।
6. उप जिलाधिकारी लोहाघाट।
7. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड (लो0नि0वि0), पी0एम0जी0एस0वाई0, चम्पावत।
8. तहसीलदार लोहाघाट को मय पत्रावली इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्वीकृत भूमि का वन विभाग के नाम नियमानुसार भू–अभिलेखों में नामान्तरण कर, हस्तान्तरण करना सुनिश्चित करेंगे।

(गोपाल दत्त पाण्डे)
प्रभारी अधिकारी,
कृते,जिलाधिकारी,
चम्पावत

कार्यालय तहसीलदार लोहाघाट

संख्या– 852/भूमि–हस्तान्तरण–र0का0/2022 दिनांक 12 सितम्बर, 2022

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग
चम्पावत।

विषय– **जनपद चम्पावत अन्तर्गत किमतोली से कोट मोटर मार्ग के निर्माण में पड़ने वाली 1.995 हे0 वन भूमि के बदले 3.990 हे0 सिविल भूमि, क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम नामान्तरण/हस्तान्तरण के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक जिलाधिकारी महोदय, चम्पावत के आदेश संख्या–4605/सात–व0भू0–हस्तॉ0 (ए0एल0आर0ओ0)/2020–21, दिनांक 16 जून 2021 के द्वारा स्वीकृत, जनपद चम्पावत अन्तर्गत किमतोली से कोट मोटर मार्ग के निर्माण में पड़ने वाली 1.995 हे0 वन भूमि के बदले 3.990 हे0 सिविल भूमि का ग्राम सुल्ला प0क्षे0 रौसाल तहसील लोहाघाट जनपद चम्पावत की गैर जमींदारी विनास खतौनी खाता संख्या– 77 श्रेणी–9(3)ड़ बंजर काबिल आबाद के खेत/खसरा नम्बर 1230 रक्वा 4.664 हे0 मध्ये 3.990 हे0 भूमि का नामान्तरण/हस्तान्तरण वन विभाग के नाम अमल दरामद कर उद्धरण खतौनी तैयार कराने उपरान्त संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अतः उक्तानुसार आख्या अग्रेतर कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

संलग्न– उक्तानुसार

तहसीलदार
लोहाघाट

प्रतिलिपि–

1. जिलाधिकारी महोदय, चम्पावत को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रभागीय वनाधिकारी महोदय, चम्पावत को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

तहसीलदार
लोहाघाट

उद्धरण खतौनी जै० ज० वि० ग्राम- सुल्ला पट्टी- रैंसाल तह०- लोहाघाट

जनपद - चम्पावत

श्रेणी - 6(2) ड़—

खा० खा० सं०	नाम खातेदार	फसली वर्ष	गाटा सं०	रकबा (हे०)	विशेष विवरण
77	वं० का० आ०	व०	5	0.004	* जिलाधिकारी महोदय चम्पावत के आदेश संख्या 4605/सात-व०भू०-हस्ता० (एल०एल०आर० ओ०)/2020-21, दिनांक 16 जून, 2021 के अनुसार उप मुख्य सचिव (वन) उत्तराखण्ड शासन सुभाष रोड देहरादून, के पत्रांक वे-8बी/यू०सी०पी०/06/74/2020 एफ०सी०/718, दिनांक 24/07/2020 के तहत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत किमतोली से कोट मोटर मार्ग के निर्माण में पड़ने वाली वन भूमि 1.995 हे० के बदले 3.990 हे० सिविल भूमि का क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए वन विभाग के नाम म्यूटेशन हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है। उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में उपजिलाधिकारी लोहाघाट द्वारा, अधिशासी अभियन्ता पी० एम० जी० एस० वाई० सिंचाई खण्ड चम्पावत द्वारा प्रस्तुत सिविल भूमि म्यूटेशन प्रस्ताव लेखक का इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार वन भूमि का विवरण निम्न प्रकार है। 1- उक्त परियोजना हेतु ग्राम सुल्ला पट्टी-रैंसाल तहसील लोहाघाट की जै० ज० वि० खा० खा० सं०-77 श्रेणी-6(2)ड० वं० का० आ० के खेत/खसरा नं० 1230 रकबा 4.664 हे० में से 3.990 हे० भूमि प्रस्तावित की गयी है। 2- प्रस्तावित सिविल भूमि में कोई धार्मिक, पौराणिक, शमशान घाट, मन्दिर/मस्जिद नहीं है। 3- प्रस्तावित भूमि किसी सार्वजनिक उपयोग की नहीं है, जिसे हस्तांतरित किये जाने में ग्राम-वासियों को कोई आपत्ति नहीं है, निरापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है। 3- प्रस्तावित सिविल भूमि के पूरब में [illegible], पश्चिम में सरहद कुनाड़ी, उत्तर में सिविल भूमि सुल्ला तथा दक्षिण में सिविल भूमि सुल्ला है। प्रस्तावित भूमि को वन विभाग के नाम नामान्तरण/हस्तांतरण किये जाने हेतु उपजिलाधिकारी लोहाघाट द्वारा संस्तुति की गयी है। अतः मुख्य सचिव (वन) उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड, देहरादून के द्वारा प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति एवं उपजिलाधिकारी लोहाघाट की संस्तुति के क्रम में
			6	0.014	
		सा०	8	0.058	
			9	0.392	
		व०	—क्रमश:—		
			1227	0.541	
			1230	4.664	
			1232	2.856	
			—क्रमश:—		
			3471	0.571	
			3497	1.173	

क्रमश: पेज 2

उद्धरण खतौनी मौ० ज० वि० ग्राम- सुल्ला। पट्टी- रौंसाल तहसील लोहाघाट (12)
जनपद - चम्पावत,
श्रेणी- 6 (2) ङ. बंजर काबिल आबाद

खा० खो० सं०	नाम खातेदार।	फसली वर्ष	गाटा सं०	रकबा (हे०)	विवरण
77		1408 फ०			शासनादेश सं० 2173/XVIII(ii)/2012/18(120)/2010, दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 के द्वारा प्राविधानित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जनपद चम्पावत अन्तर्गत किमतोली से कोट मोटर मार्ग के निर्माण में पड़ने वाली 1.995 हे० वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण के वास्ते, ग्राम- सुल्ला पट्टी- रौंसाल, तह- लोहाघाट के खाता संख्या - 77 श्रेणी- 6(2) ङ० ब० का० आ० के खेत नं० 1230 रकबा 4.6648 मध्ये 3.990 हे० भूमि को, वन विभाग के नाम नामान्तरण/हस्तान्तरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है, जरिये आदेश के अमलदरामद किया है। ह० अ० RK 11-09-22 ह० अ० यु० उपनिरीक्षक रौंसाल 11/09/22
				124.057	
		योग	224	124.057	

मुहदप, मूल खतौनी से खतौनी उद्धरण तैयार किया।

मुहदप, सत्यापित किया

ह० [illegible] 11/09/2022 यु० उ० नि० रौंसाल

ह० [illegible] रा० नि० सुल्ला 12/09/022

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

परियोजना का नामः– जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत किमतोली से कोट मोटर मार्ग, लम्बाई–7.500 कि0मी0, के निर्माण में पड़ने वाली वनभूमि के बदले सिविल भूमि का वनविभाग के नामान्तरण/हस्तान्तरण प्रस्ताव।

उपरोक्त सिविल भूमि का संयुक्त निरीक्षण पूर्व में वनविभाग के प्रतिनिधि, राजस्व विभाग के प्रतिनिधि, सिंचाई खण्ड(लो0नि0वि0) पी0एम0जी0एस0वाई0–चम्पावत के प्रतिनिधियों के द्वारा किया गया। पुनः उक्त सिविल भूमि का संयुक्त निरीक्षण दिनांक 05/05/2022 को वन विभाग के प्रतिनिधि, राजस्व विभाग के प्रतिनिधि एवं सिंचाई खण्ड (लो0नि0वि0) पी0एम0जी0एस0वाई0–चम्पावत के प्रतिनिधियों द्वारा किया गया। उक्त संयुक्त निरीक्षण में वनविभाग के प्रतिनिधि के रूप में वन दरोगा श्री नन्दा बल्लभ भट्ट, राजस्व विभाग प्रतिनिधि के रूप में रा0उ0नि0 श्री सलमान ——— एवं पी0एम0जी0एस0वाई0, चम्पावत से प्रतिनिधि के रूप में अपर सहा0 अभि0 दयाल राम ने प्रतिभाग किया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उक्त सिविल भूमि ग्राम–सुल्ला, पट्टी क्षेत्र– रौसाल तहसील – लोहाघाट, जिला–चम्पावत के गैर ज0वि0 खतौनी, खाता सं0–72 श्रेणी–9(3) ब0का0आ0 के खसरा सं0–1230, रकवा 4.664 मध्य 3.990 हे0 सिविल सोयम भूमि का वनविभाग एवं राजस्व विभाग के प्रतिनिधियों को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दिखाया गया। वनविभाग के प्रतिनिधियों द्वारा उक्त स्थल वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त बताया गया।

उपरोक्तानुसार उक्त सिविल भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।

ह0 /–	ह0 /–	ह0 /–
(प्रयोक्ता एजेन्सी)	राजस्व विभाग प्रतिनिधि	वनविभाग प्रतिनिधि
अधिशासी अभियन्ता सि0ख0, लो0नि0वि0 (आई0यू0) पीएमजीएसवाई चम्पावत (उत्तराखण्ड)	राजस्व उपनिरीक्षक तहसील लोहाघाट	5.5

सहायक अभियन्ता
सि0ख0, लो0नि0वि0
पीएमजीएसवाई, चम्पावत
AAE

डिजटल मैप–जनपद चपावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत किमतोली से कोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल।

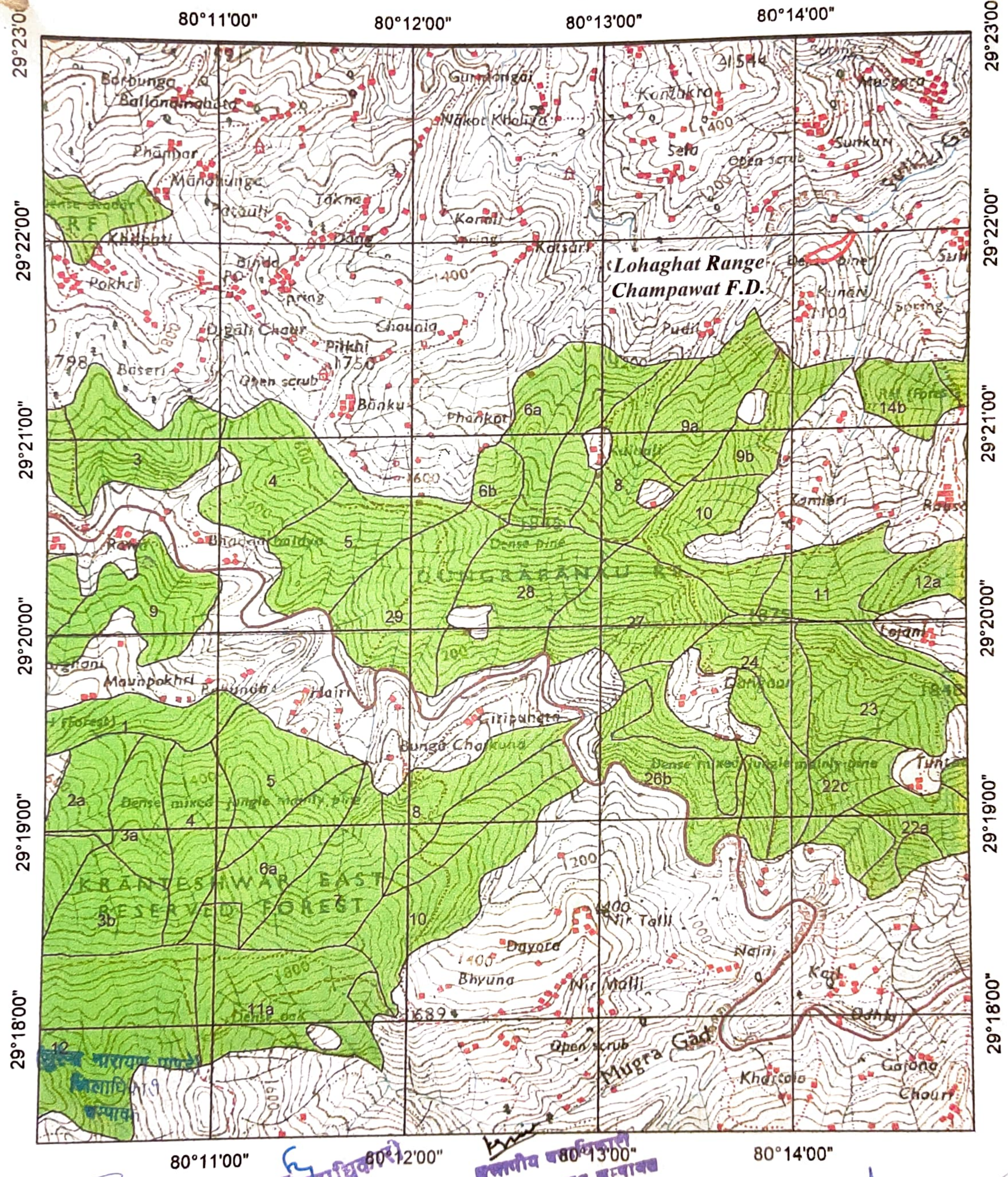

Legend

	Proposed_Land
	Reserve Forest Boundary
	Reserve Forest Area
	Range_Boundary
	Division_Boundary

0.0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0
km

जिलाधिकारी चम्पावत

प्रभागीय वनाधिकारी चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत

सहायक अभियन्ता
सिं०ख०, लो०नि०वि०, चम्पावत

19/03/2020 उप प्रभागीय वनाधिकारी लोहाघाट

उपजिलाधिकारी लोहाघाट

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड (लो०नि०वि०) चम्पावत

राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र तिलपाटे
तहसील लोहाघाट

वन क्षेत्राधिकारी
वन क्षेत्र लोहाघाट
वन प्रभाग चम्पावत

Prepared by:- (Pankaj Josh

(17)

जियो रेफरेन्स मैप–जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत किमतोली से कोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल।

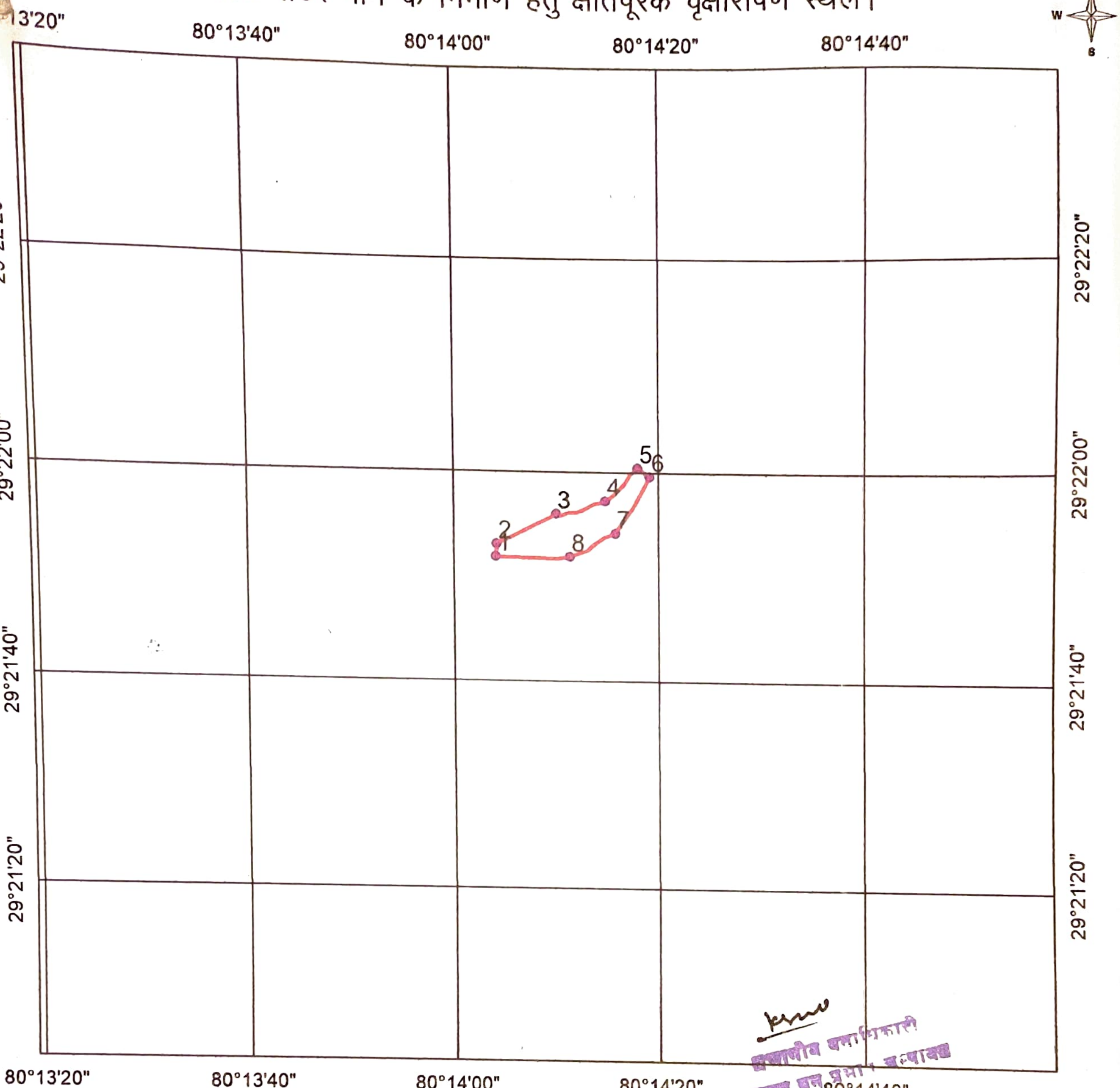

Legend

● GPS_Points_Kimtoli

▭ Proposed_Land

0.00 0.15 0.30 0.45 0.60 km

ID	Longitude	Latitude
1	80°14'4.11"E	29°21'51.84"N
2	80°14'4.20"E	29°21'53.06"N
3	80°14'10.00"E	29°21'55.99"N
4	80°14'14.83"E	29°21'57.25"N
5	80°14'17.97"E	29°22'0.42"N
6	80°14'19.14"E	29°21'59.62"N
7	80°14'15.78"E	29°21'54.17"N
8	80°14'11.35"E	29°21'51.92"N

सहायक अभियन्ता
सिं०ख०, लो०नि०वि०, चम्पावत

(सुरेन्द्र नारायण पाण्डे)
जिलाधिकारी
चम्पावत

19/03/2020
उपजिलाधिकारी
लोहाघाट

जिलाधिकारी
चम्पावत

प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत

उप प्रभागीय वनाधिकारी
लोहाघाट

राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र खिलपति
तहसील लोहाघाट

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड (लो०नि०वि०)
चम्पावत

वन क्षेत्राधिकारी
वन क्षेत्र–लोहाघाट
वन प्रभाग चम्पावत

Prepared by:- (Pankaj Jos

परियोजना का नाम :– जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अनतर्गत किमतोली से कोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.995 है0 वन भूमि के सापेक्ष 3.990 है0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण)

पुल्ला सिविल सोयम भमि–3.990 है0

रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या :– 4389 पौधे (1100 पौधे प्रति है0)

क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना

क0 सं0	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	इकाई दर (रू0)	योग
1	2	3	4	5	6
	(१). प्रथम चरण				
1	सर्वे एवं सीमांकन	3.990	है0	147.00	586.53
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि)	3.990	है0	887.00	3539.13
3	अग्रिम दीवाल बन्दी (फन्सिंग) 84 घनमीटर प्रति है0 की दर से = 84 X 3.99 है0 = 335.16 घमी0	335.16	धन मी0	478.00	160206.48
4	मृदा एवं जल संरक्षण एवं संग्रहण हेतु कच्चे चाल–खालों का निर्माण एवं अन्य अभियांत्रिक कार्यो हेतु प्राविधान (पूर्ण)	3.990	है0	11700.00	46683.00
5	गड्ढे खुदान (0.30x0.30x0.45) 2000 प्रति सैकडा गढढा	4389	गड्ढे	11.14	48893.46
6	निरीक्षण बटिया बनना	3.990	है0	737.00	2940.63
7	पौधों की कीमत (प्रथम वर्ष)	4389	पौधे	8.70	38184.30
8	अन्य व्यय जैसे यंत्र संयन्त्र, औजार तेज करना एवं कार्यो पर व्यय	L/S	L/S	L/S	100000.00
9	अन्य कार्य	L/S	L/S	L/S	62000.00
	योग – प्रथम चरण				**463033.53**
	(२). द्वितीय चरण				
1	गड्ढा भरान कार्य (0.30x0.30x0.45)	4389	गड्ढे	1.75	7680.75
2	पौधों की कीमत (द्वितीय वर्ष)	4389	पौधे	1.75	7680.75
3	पौध ढुलान कार्य	4389	पौधे	9.70	42573.30
4	पौध रोपण व थालाबन्दी	4389	पौधे	3.13	13737.57
5	निराई गुड़ाई व मल्चिंग (दो बार)	4389	पौधे	1.15	5047.35
6	खाद व दवा पर व्यय प्रति सेकड़ा पौधा	4389	पौधे	0.320	1404.48
7	प्रथम वर्ष में वृक्षारोपण की देख–रेख व रखरखाव पर व्यय	3.990	है0	7235.00	28867.65
8	**8.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत**				
	सूखे घाट फूस एवं ज्वलनशील पदर्थो का हटाना प्रति है0	3.990	है0	350.00	1396.50
	8.2 सुरक्षा दीवाल/धेरबाढ़ के बाहर 4 मीटर की पट्टी साफ करना	3.990	है0	225.00	897.75
	8.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	3.990	है0	400.00	1596.00
9	अन्य व्यय साइन बोर्ड पौध ढुलान हेतु टोकरी, सुतली, बोरी आदि क्रय वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने हेतु पोलीथीन सीट क्रय वर्ष में दो तीन बार फोटोग्राफी फील्ड स्तरीय कार्यो को प्रचार–प्रसार एवं डेक्यूमेंटेशन आदि कार्य।	3.990	है0	700.00	2793.00
	अन्य कार्य	L/S	है0	L/S	25000.00
	योग– द्वितीय चरण				**138675.10**
	(३). तृतीय चरण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (9044 ग 12)/10=10852	3.990	है0	10852.00	43299.48
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना प्रति है0	3.990	है0	350.00	1396.50

	2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना 2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	3.990	हे0	225.00	897.75
	वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	3.990	हे0	400.00	1596.00
3	अन्य कार्य	L/S	L/S	L/S	25000.00
	योग – तृतीय चरण				**72189.73**
	(४). चतुर्थ चरण				
1	रोपण के उपरान्त रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (9044 x 12)/10=10852	3.990	हे0	10852.00	43299.48
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना प्रति हे0	3.990	हे0	350.00	1396.50
	2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना 2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	3.990	हे0	225.00	897.75
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	3.990	हे0	400.00	1596.00
3	अन्य कार्य	L/S	L/S	L/S	20000.00
	योग – चतुर्थ चरण				**67189.73**
	(५). पंचम चरण				
1	रोपण के उपरान्त रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	3.990	हे0	10852.00	43299.48
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना प्रति हे0	3.990	हे0	350.00	1396.50
	2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना 2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	3.990	हे0	225.00	897.75
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	3.990	हे0	400.00	1596.00
3	अन्य कार्य	L/S	L/S	L/S	20000.00
	योग – पंचम चरण				**67189.73**
	(६). षष्टम चरण				
1	रोपण के उपरान्त रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	3.990	हे0	10852.00	43299.48
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना प्रति हे0	3.990	हे0	350.00	1396.50
	2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना 2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	3.990	हे0	225.00	897.75
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	3.990	हे0	400.00	1596.00
3	अन्य कार्य	L/S	L/S	L/S	20000.00
	योग – षष्टम चरण				**67189.73**
	(७). सप्तम चरण				
1	रोपण के उपरान्त रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	3.990	हे0	10852.00	43299.48
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना प्रति हे0	3.990	हे0	350.00	1396.50

	2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना 2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	3.990	हे0	225.00	897.75
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	3.990	हे0	400.00	1596.00
3	अन्य कार्य	L/S	L/S	L/S	20000.00
	योग – सप्तम चरण				**67189.73**
	(८).अष्टम चरण				
1	रोपण के उपरान्त रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	3.990	हे0	10852.00	43299.48
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना प्रति हे0	3.990	हे0	350.00	1396.50
	2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना 2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	3.990	हे0	225.00	897.75
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	3.990	हे0	400.00	1596.00
3	अन्य कार्य	L/S	L/S	L/S	20000.00
	योग – अष्टम चरण				**67189.73**
	(९). नवम चरण				
1	रोपण के उपरान्त रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	3.990	हे0	10852.00	43299.48
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना प्रति हे0	3.990	हे0	350.00	1396.50
	2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना 2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	3.990	हे0	225.00	897.75
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	3.990	हे0	400.00	1596.00
3	अन्य कार्य	L/S	L/S	L/S	20000.00
	योग – नवम चरण				**67189.73**
	(१०). दशम चरण				
1	रोपण के उपरान्त रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	3.990	हे0	10852.00	43299.48
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना प्रति हे0	3.990	हे0	350.00	1396.50
	2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना 2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	3.990	हे0	225.00	897.75
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	3.990	हे0	400.00	1596.00
3	अन्य कार्य	L/S	L/S	L/S	20000.00
	योग – दशम चरण				**67189.73**
	(११). एकादश चरण				
1	रोपण के उपरान्त रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	3.990	हे0	10852.00	43299.48
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना प्रति हे0	3.990	हे0	350.00	1396.50
	2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना 2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	3.990	हे0	225.00	897.75

	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित [illegible] प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	3.990	हे0	400.00	1596.00
3	अन्य कार्य	L/S	L/S	L/S	20000.00
	योग – एकादश चरण				**67189.73**
	(१२). द्वादश चरण				
1	रोपण के उपरान्त रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	3.990	हे0	10852.00	43299.48
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना प्रति हे0	3.990	हे0	350.00	1396.50
	2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना 2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	3.990	हे0	225.00	897.75
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा मे उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	3.990	हे0	400.00	1596.00
3	अन्य कार्य	L/S	L/S	L/S	20000.00
	योग – द्वादश चरण				**67189.73**
	(१३). त्रयोदश चरण				
1	रोपण के उपरान्त रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	3.990	हे0	10852.00	43299.48
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना प्रति हे0	3.990	हे0	350.00	1396.50
	2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना 2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	3.990	हे0	225.00	897.75
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	3.990	हे0	400.00	1596.00
3	अन्य कार्य	L/S	L/S	L/S	20000.00
	योग – त्रयोदश चरण				**67189.73**
	कुल योग =				**1345795.66**
	3.990 हे0 X 337184.00 दर प्रति हे0 =				**1345364.00**
	Say Rs. =				**1345364.00**

वन क्षेत्राधिकारी,
वनक्षेत्र– लोहाघाट
वन प्रभाग चम्पावत

प्रभागीय वनाधिकारी,
वन प्रभाग, चम्पावत

5	FP/UK/ROAD/45289/2020 Construction of Kimtoli to Kot Motor Road Under PMGSY Champawat	ROAD452892020352	6145289352	24 Jul 2020	**CA:** 1345364/- , **Addl CA :** 0/- **PCA:** 0/- , **CAT :** 0/- **Safety Zone:** 0/- , **Addl PA :** 0/- **NPV:** 1310715/- , **None :** 0/- **None :** 0/- **None :** 0/- **None :** 0/- **Total :** 2656079/-	Paid	**Fund Demand Verified by Nodal Officer On** :29 Jul 2020 **Bank Name** : Corporation Bank **Mode of Payment** : NEFT/RTGS (Challan) **Challan Generated On** : 04 Aug 2020 **Transaction Date** : 08 Oct 2020	Demand Letter Generated Challan

AAE

सहायक अभियन्ता
सि०ख०, लो०नि०वि०
पीएमजीएसवाई, चम्पावत

अधिशासी अभियन्ता
सि0ख0, लो0नि0वि0
(पी0आई0यू0) पीएमजीएसवाई
चम्पावत (उत्तराखण्ड)

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 04-08-2020

Agency Name.	PMGSY
Application No.	6145289352
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/74/2020/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, IRRIGATION DIVISION (P.W.D.)CHAMPAWATChampawat
Amount(in Rs)	2656079/-

Amount in Words :Twenty-Six Lakh Fifty-Six Thousand and Seventy-Nine Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896145289352 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 04-08-2020

Agency Name.	PMGSY
Application No.	6145289352
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/74/2020/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, IRRIGATION DIVISION (P.W.D.)CHAMPAWAT Champawat
Amount(in Rs)	2656079/-

Amount in Words :Twenty-Six Lakh Fifty-Six Thousand and Seventy-Nine Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896145289352 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

सहायक अभियन्ता
सि०ख०, लो०नि०वि०
पीएमजीएसवाई, चम्पावत

अधिशासी अभियन्ता
सि0ख0, लो0नि0वि0
(पी0आई0यू0) पीएमजीएसवाई
चम्पावत (उत्तराखण्ड)

(27) (24)

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत

Email-dfo.chamawat @rediffmail.com

पत्रांक 331 / 12-1 दिनांक, चम्पावत 28/7/ 2020

सेवा में,

अधिशासी अभियंता
सिंचाई खण्ड, लो0 नि0 वि0,
चम्पावत।

विषयः— किमतोली से कोट मोटर मार्ग (प्रस्ताव सं0**FP/UK/ROAD/45289/2020**) निमार्ण हेतु 1.995 वन भूमि प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

संदर्भः— आपका पत्रांक 697 / 3पी0एम0जी0एस0वाई0 दिनांक 25.07.2020.

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के कम में उक्त मोटर मार्ग में (किमतोली से कोट मोटर मार्ग) में जमा की जाने वाली धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है।

क0स0	मद	ईकाई	दर	जमा की जाने वाली धनराशि
1	एन0पी0वी0	1.995 हे0 (घनत्व 0.1 ईको क्लास 5)	657000.00	1310715.00
2	क्षतिपूरक वृक्षारोपण	3.99 हे0	337184.00	1345364.00

अतः कृपया उक्त डिमाण्ड नोट ऑनलाईन अपलोड कर नोडल कार्यालय द्वारा डिमाण्ड नोट का सत्यापन के उपरान्त धनराशि नियमानुसार जमा कर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(मयंक शेखर झा)
प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत

एन0पी0वी0 की वचनबद्धता प्रमाण–पत्र

परियोजना का नामः– जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित किमतोली से कोट मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है कि यदि मा0 उच्चतम न्यायलय/भारत सरकार द्वारा भविष्य में एन0पीवी0 की वर्तमान दरों में वृद्धि की जाती है, तो प्रयोक्ता एजेन्सी/सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि, चम्पावत/ग्राम्य विकास विभाग द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप बढ़ी हुई एन0पी0वी0 की धनराशि का भुगतान वन विभाग को किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
सिं0ख0, लो0नि0वि0–चम्पावत।
सहायक अभियन्ता
सि०ख०, लो०नि०वि०
पीएमजीएसवाई, चम्पावत

अधिशासी **अभियन्ता**
सिं0ख0, लो0नि0वि0–चम्पावत।
अधिशासी अभियन्ता
सि0ख0, लो0नि0वि0
(पी0आई0यू0) पीएमजीएसवाई
चम्पावत (उत्तराखण्ड)

(25)

प्रपत्र–

परियोजना का नामः- जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत किमतोली से कोट मोटर मार्ग में स्टेज–I के नवनिर्माण में आने वाली सिविल सोयम भूमि 1.995 हे0 (पूर्व में 4.925 हे0), के सम्बन्ध में।

प्रस्तावित परियोजना में वृक्ष प्रभावित न होने की दशा में प्रयोक्ता एजेन्सी एवं प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण में आवेदित भूमि में कोई भी वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

कनिष्ठ अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड लो0नि0वि0,चम्पावत	सिंचाई खण्ड लो0नि0वि0,चम्पावत	सिंचाई खण्ड लो0नि0वि0,चम्पावत

सहायक अभियन्ता
सिं0ख0, लो0नि0वि0, चम्पावत

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड लो0नि0वि0,
चम्पावत

ह0/–

प्रभागीय वनाधिकारी

राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र बिलपार
तहसील लोहाघाट

प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत

उप प्रभागीय वनाधिकारी
लोहाघाट

वन क्षेत्राधिकारी
वन क्षेत्र–लोहाघाट
वन प्रभाग चम्पावत

26

प्रपत्र–

परियोजना का नाम:- जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत किमतोली से कोट मोटर मार्ग में स्टेज–I के नवनिर्माण में आने वाली सिविल सोयम भूमि 1.995 हे0 (पूर्व में 4.925 हे0), के सम्बन्ध में।

न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना के निर्माण हेतु प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या न्यूनतम शून्य है व भारत सरकार से परियोजना के निर्माण की स्वीकृति होने के उपरान्त आवश्यक न्यूनतम शून्य वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड लो0नि0वि0,चम्पावत	सिंचाई खण्ड लो0नि0वि0,चम्पावत	सिंचाई खण्ड लो0नि0वि0,चम्पावत

सहायक अभियन्ता
सिंचाई, लो0नि0वि0, चम्पावत

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0
चम्पावत

पटवारी क्षेत्र खिलपति
तहसील- लोहाघाट
जनपद- चम्पावत

राजस्व निरीक्षक
क्षेत्र पुल्ला

प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत

उप प्रभागीय वनाधिकारी
लोहाघाट

वन क्षेत्राधिकारी
वन क्षेत्र–लोहाघाट
वन प्रभाग चम्पावत

Muck disposal Plan for C/O Kimtoli - Kot Motor Road

Total Quantity of Excacated Material -

1X1/2 X 7500X3.00X3.00(average hight)	=	33750	Cum
Add 25% for swell factor	=	8438	Cum
Hence Net Quntity	=	42188	Cum

Disposal and use of Material -

1-	RR stone Masonry laid in 1:5 Cement Sand mortor	=	1475	Cum
2-	RR stone Masonry laid Dry	=	3050	Cum
3-	H.P. Stone Filling	=	2160	Cum
4-	Construction of parapet	=	40	Cum
5-	Construction of wirecrate wall	=	150	Cum
6-	Hill side Pacca Drain	=	0	Cum
7-	Construction of Scupper	=	2525	Cum
	Total used material	=	9400	Cum
	Hence material to be disposed =42188.00 - 9364.00	=	32788	Cum
	Say	**=**	**32790**	**Cum**

Capacity of dumping Yards.

SL.No.	Size of dumping yard	Type of Land	Capacity of dumping yard (cum)
1	40.00 X 20.00 X 7.00	Private	5600.00
2	40.00 X 20.00 X 7.00	Private	5600.00
3	40.00 X 20.00 X 7.00	Private	5600.00
4	40.00 X 20.00 X 7.00	Private	5600.00
5	40.00 X 20.00 X 7.00	Private	5600.00
6	40.00 X 20.00 X6.00	Private	4800.00
		Total	**32800.00**

Summary of disposal

SL.No.	Total Disposal		Reused Material for road construction	Matrerial disposal by cartage	Total disposal in dumping yards	Balance Dabries
1	42188	Cum	9400	32790	32790	-

AAO

सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई खण्ड
चम्पावत

अधिशासी अभियन्ता
सि०ख०, लो०नि०वि०
(पी०आई०यू०) पीएमजीएसवाई
चम्पावत (उत्तराखण्ड)

Muck disposal Plan for C/O Kimtoli - Kot Motor Road

Chainage	Name of Land Owner	Area of Land in Hect	in SQM	Land Area being used for Dumping yard in Sqm	Co-ordinates of yards		
						Longitude	Latitude
2.500 to 2.550	Private Land	0.08	800	800	Point-1	29°22'1.10"N	80° 8'56.48"E
3.575 to 3.625	Private Land	0.08	800	800	Point-2	29°21'42.69"N	80° 8'54.78"E
4.550 to 4.600	Private Land	0.08	800	800	Point-3	29°21'24.26"N	80° 8'59.60"E
5.500 to 5.550	Private Land	0.08	800	800	Point-4	29°21'23.71"N	80° 9'3.39"E
6.450 to 6.500	Private Land	0.08	800	800	Point-5	29°21'23.37"N	80°8'39.52"E
7.400 to 7.450	Private Land	0.08	800	800	Point-6	29°21'30.85"N	80° 8'31.73"E

सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई खण्ड
चम्पावत

अधिशासी अभियन्ता
सि०ख०, लो०नि०वि०
(पी०आई०यू०) पीएमजीएसवाई
चम्पावत (उत्तराखण्ड)

— MUCK DISPOSAL PLAN —

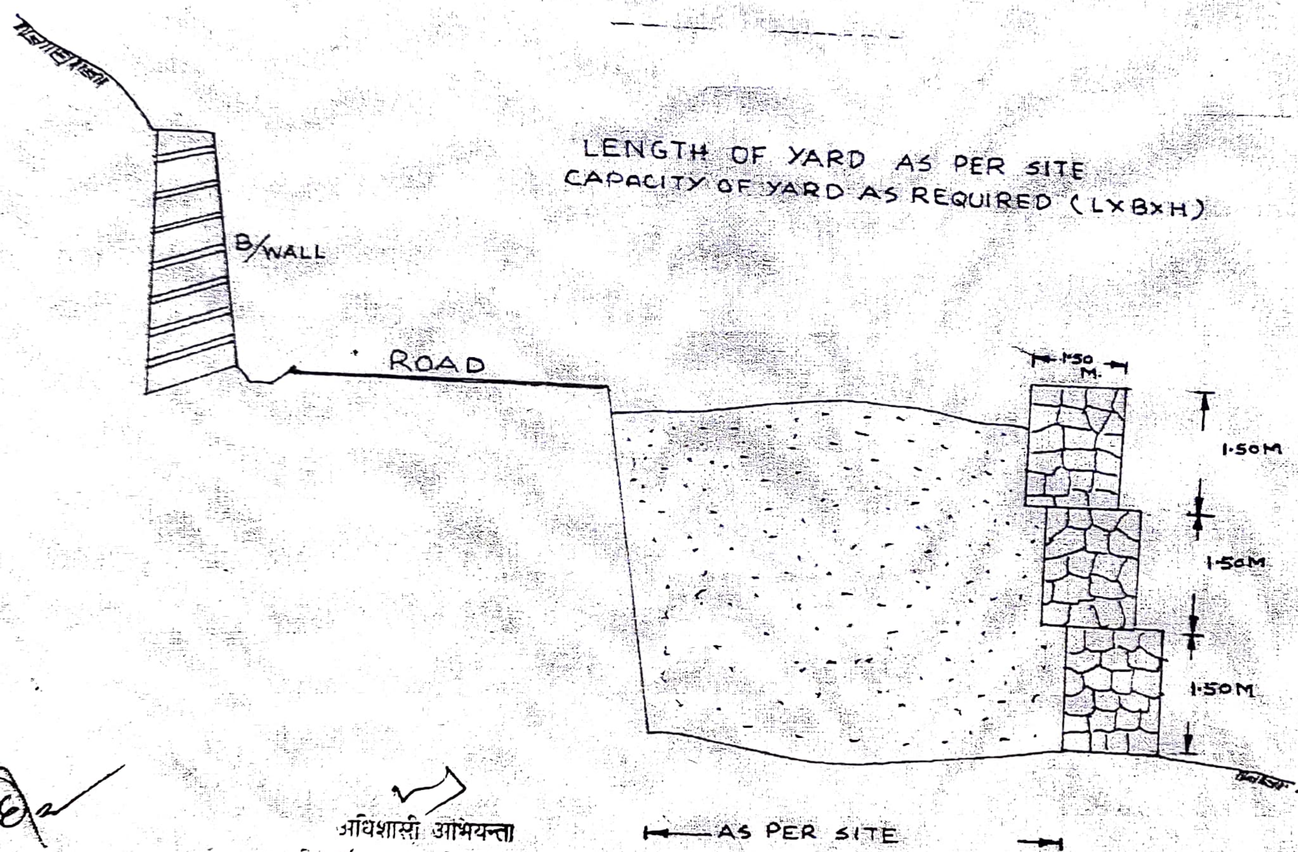

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड (लो०नि०वि०)
चम्पावत

JE

— TYPICAL X·SECTION OF MUCK DISPOSAL YARD —

सहायक अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, लो०नि०वि०
चम्पावत

(30)

प्रारुप—

परियोजना का नाम — जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत किमतोली से कोट मोटर मार्ग में स्टेज–I के नवनिर्माण में आने वाली 1.995 हे0 (पूर्व में 4.925 हे0), के सम्बन्ध में।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना में वनभूमि 1.995 हे0 प्रभावित हो रही है, जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना ग्राम सुल्ला सिविल सोयम भूमि में किया जाना प्रस्तावित है, यह क्षेत्र प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से उचित है। अतः दो गुना 3.99 हे0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु स्थल उपयुक्त है।

ह0/—
राजि अधिकारी

राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र विलपाटी
तहसील लोहाघाट

ह0/—
प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत

उप प्रभागीय वनाधिकारी
लोहाघाट

वन क्षेत्राधिकारी
वन क्षेत्र–लोहाघाट
वन प्रभाग चम्पावत

9.5.

प्रारूप

1. **परियोजना का ऑनलाईन प्रस्ताव सं0 :–** FP/UK/ROAD/25477/2017

2. **परियोजना का नाम एवं जनपद :–** किमतोली से कोट मोटर मार्ग 7.500 कि0मी0 मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.995 हे0 सिविल सोयम भूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को वन भूमि हस्तानान्तरण प्रस्ताव, जनपद – चम्पावत।

3. **परियोजना का क्षेत्रफल (हे0 में) :–** 1.995 हे0।

4. **प्रयोक्ता एजेन्सी का नाम व पता :–** पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड (लो0नि0वि0) चम्पावत।

5. **वन प्रभाग का नाम व पता :–** चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वन भूमि हस्तानान्तरण प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि ग्राम सुल्ला सिविल सोयम भूमि, क्षेत्रफल 3.990 हे0 का श्री कुबेर सिंह बिष्ट, प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत (प्रभागीय वनाधिकारी का नाम व वन प्रभाग) द्वारा पुनः दिनांक 13-02-2020 को स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण के दौरान पाया गया कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण का घनत्व 0.40 से कम है, क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र वनाच्छादित नहीं है, क्षेत्र झाड़ीनुमा व रिक्त है एवं क्षेत्र में 1100 पौधे प्रति हे0 रोपित हो सकते हैं। अतः उक्त क्षेत्र क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु सर्वथा उपयुक्त है।

हस्ताक्षर

(प्रभागीय वनाधिकारी)
प्रभागीय वनाधिकारी का नाम
पद व मोहर सहित

राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र बिल पति
तहसील लोहाघाट

उप प्रभागीय वनाधिकारी
लोहाघाट

वन क्षेत्राधिकारी
वन क्षेत्र लोहाघाट
वन प्रभाग चम्पावत

Att 1.6

(7) (92)

Annexure-23(A)

Office of the District Collector,

District-Champawat (Uttrakhand)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006

A meeting of the meeting of the district level committee of Champawat district constituted under FRA 2006 was held under the chairmanship of shri ...Ahmad Iqbal........ , District Magistrate, Champawat (Uttrakhand) on .... at ....at Champawat in which the application claiming rights in Kot & Pedusera villages in Lohaghat Tehsil, area measuring 4.9250 hect. for the construction of Kimtoli to Kot motor road under PMGSY in Champawat of forest land under FRS, 2006 of the following applicant dully processed and recommended by the Sub-Division Level Committee of Lohaghat tehsil were discussed to consider the same for admission by the Division Level Committee.

After scrutiny of documents and detailed discussions, no objection /claims were found to have been made and hence the District Level Committee recommend the above case for diversion of the land for the said purpose.

जिलाधिकारी

District Magistrate-cum-
Chairman, District Level
Committee, Champawat

Att 1.6

(3)

From -1
(for linear projects)
Government of UttraKhand
Office of the District collector
Champawat

No

Date 26/9/16

TO WHOME SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the ministry of environment and forests (MoEF) Government of Indias letter no 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the moef issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled truibes and other praditional forest dwellers (recognition of forest rights) act 2006 (tra, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes read with moefs letter dated .... wherein moef issued certain relaxapoin in respect of linear projects it is certified that 4.9250 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Gram Vikash Depart., Govt. of Uttarakhand** in **Champawat** district falls with in jurisdiction of Construction of **Kot and Pedusera** village in **Lohaghat** Tehsils.

It is further certified that

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the fra has been carried out for the entire 4.9250 hectares of forest area proposed for diversion a copy of record of all consultation and meetings of the forest rights committees are enclosed as annexure 23(a) to 23 (d)

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the fra have been completed and the grama sabhas have given their consent to it.

(c) The proposal does not involve recognized rights of primitive tribai groups and pre agricultural communities.

Enci: As above.

Signature

District collector

(13) 33

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नामः- **जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, किमतोली से कोट मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 14.950 किमी0 तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।**

कार्यालय उप जिलाधिकारी, लोहाघाट.

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, लोहाघाट

उपखण्ड लोहाघाट परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद चम्पावत में किमतोली से कोट मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (2.5375 हे0 आरक्षित वन भूमि, 2.3875 हे0 सिविल सोयम वन भूमि शून्य हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 4.9250 हे0 वन भूमि) पी0एम0जी0एस0वाई0 चम्पावत (ग्राम्य विकास विभाग) प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष मे हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील लोहाघाट) की दिनांक 29/09/016 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः--

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री सी0एस0 डोभाल, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री सी0एस0 डोभाल, उपजिलाधिकारी, लोहाघाट -- अध्यक्ष

2– श्री महिपाल सिंह सिरोही, उप प्रभागीय वनाधिकारी, लोहाघाट – सदस्य

3– श्री एम0डी0 भट्ट, सहायक समाज कल्याण अधिकारी, लोहाघाट -- सदस्य / सचिव

4– श्रीमति धनी देवी बी0डी0सी0 क्षेत्र, मडचमार सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद चम्पावत में किमतोली से कोट मोटर मार्ग का निर्माण कार्य परियोजना हेतु 4.9250 हे0 वन भूमि का पी0एम0जी0एस0वाई0 चम्पावत (ग्राम्य विकास विभाग) प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नही है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी लोहाघाट द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का

दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड लोहाघाट परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद चम्पावत में किमतोली से कोट मोटर मार्ग का निर्माण कार्य परियोजना के निर्माण हेतु 4.9250 हे0 वन भूमि पी0एम0जी0एस0वाई0 चम्पावत प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

20.9.16

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–लोहाघाट
जनपद चम्पावत

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, चम्पावत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–लोहाघाट
जनपद चम्पावत

वन क्षेत्राधिकारी
वन क्षेत्र–लोहाघाट
वन प्रभाग चम्पावत

उप प्रभागीय वनाधिकारी
लोहाघाट

(6) (38)

प्रपत्र–23.1

परियोजना का नाम :–

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम –कोट–
तहसील लोहाघाट, जिला चम्पावत

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चम्पावत के अन्तर्गत किमतोली से कोट मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (2.5375 हे0 आरक्षित वन भूमि, 2.3875 हे0 सिविल सोयम भूमि शून्य हे0, वन पंचायत भूमि शून्य हे0) अर्थात कुल 4.9250 हे0 वन भूमि का पी0एम0जी0एस0वाई0 चम्पावत विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ......कोट...... द्वारा दिनांक 20/9/16को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ...कोट एवं पेड़सेरा... के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि पी0एम0जी0एस0वाई0 चम्पावत प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/–
ग्राम सचिव
मुहर सहित

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत कोट
वि.ख. लोहाघाट (चम्पावत)

ह0/–
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

प्रधान
ग्राम पंचायत कोट
वि0ख0- लोहाघाट (चम्पावत)

रा0उ0नि0
क्षेत्र...तिलपतो...
तहसील.लोहाघाट.
जिला- चम्पावत

1/37

प्रपत्र--23.1

दिनांक 20/9/2016 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत कोट

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	अमर सिंह	[signature]
2.	कुमर सिंह	Kumdhu
3.	भगवान सिंह	[signature]
4.	पुष्कर सिंह	[signature]
5.	दिवान सिंह	दिवान सिंह
6.	जोत सिंह	जोत सिंह
7.	प्रेम सिंह	प्रेम सिंह
8.	मोती सिंह	मोती सिंह
9.	किशन सिंह	[signature]
10.	खड़ग सिंह	खड़ग सिंह

[signature]
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत कोट
वि.ख. लोहाघाट (चम्पावत)

[signature]
प्रधान
ग्राम पंचायत कोट
वि.ख.— लोहाघाट (चम्पावत)
ह0/—
ग्राम प्रधान

Strip Plantation की वचनबद्धता प्रमाण–पत्र

परियोजना का नाम:– जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित किमतोली से कोट मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त परियोजना के निर्माण के पश्चात् मोटर मार्ग के दोनों किनारों में Strip Plantation प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर किया जायेगा, प्रयोक्ता एजेन्सी उक्त कार्य को कराने हेतु वचनबद्ध है।

सहायक अभियन्ता	**अधिशासी अभियन्ता**
सिं0ख0, लो0नि0वि0–चम्पावत।	**सिं0ख0, लो0नि0वि0–चम्पावत।**
सहायक अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता
सि०ख०, लो०नि०वि०	सि0ख0, लो0नि0वि0
पीएमजीएसवाई, चम्पावत	(पी0आई0यू0) पीएमजीएसवाई
	चम्पावत

प्रमाण–पत्र

कार्य का नाम – जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत किमतोली से कोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.995 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।

सहायक अभियन्ता
सि०ख०, लो०नि०वि०
पीएमजीएसवाई, चम्पावत

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, लो०नि०वि०
चम्पावत

प्रमाण–पत्र

कार्य का नाम – जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत किमतोली से कोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.995 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त परियोजना में आ रही वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
सि०ख०, लो०नि०वि०
पीएमजीएसवाई, चम्पावत

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, लो०नि०वि०
चम्पावत

प्रमाण–पत्र

परियोजना का नाम– जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत किमतोली से कोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.995 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त परियोजना के निर्माण में कार्यरत श्रमिकों को किसी कानूनी श्रोत से प्राप्त लकड़ी, मिट्टी का तेल/रसोई गैस अथवा वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध कराया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
सि०ख०, लो०नि०वि०
पीएमजीएसवाई, चम्पावत

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, लो०नि०वि०
चम्पावत

प्रमाण--पत्र

परियोजना का नाम– जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत किमतोली से कोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.995 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा का परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
सि०ख०, लो०नि०वि०
पीएमजीएसवाई, चम्पावत

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, लो०नि०वि०
चम्पावत

प्रमाण–पत्र

कार्य का नाम – जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत किमतोली से कोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.995 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
सि०ख०, लो०नि०वि०
पीएमजीएसवाई, चम्पावत

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, लो०नि०वि०
चम्पावत

AAE

(54) (49)

प्रमाण–पत्र

कार्य का नाम – जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत किमतोली से कोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.995 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त परियोजना हेतु वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्ररताव में विर्निदिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
सि०ख०, लो०नि०वि०
पीएमजीएसवाई, चम्पावत

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, लो०नि०वि०
चम्पावत

(45)

प्रमाण–पत्र

कार्य का नाम – जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत किमतोली से कोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.995 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेन्सियां, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेंगी।

AAE

सहायक अभियन्ता
सि०ख०, लो०नि०वि०
पीएमजीएसवाई, चम्पावत

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, लो०नि०वि०
चम्पावत

प्रारुप–

परियोजना का नाम : जनपद चम्पावत में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत किमतोली से कोट मोटर मार्ग का निर्माण, लम्बाई 7.500 कि0मी0 के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण--पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है।

कनिष्ठ अभियन्ता
सिंचाई खण्ड लो0नि0वि0,चम्पावत

सहायक अभियन्ता
सिंचाई खण्ड लो0नि0वि0,चम्पावत
सहायक अभियन्ता सि0खं0, लो0नि0वि0 पीएमजीएसवाई, चम्पावत

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड लो0नि0वि0,चम्पावत
अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0 चम्पावत

प्रारुप–

परियोजना का नाम : **जनपद चम्पावत में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत किमतोली से कोट मोटर मार्ग का निर्माण, लम्बाई 7.500 कि0मी0 के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।**

मक डम्पिंग प्लान/प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि **चम्पावत** में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, **किमतोली से कोट मोटर मार्ग का निर्माण, लम्बाई 7.500 कि0मी0 तक मोटर मार्ग के** नव निर्माण से उत्पादित मलबे को उचित प्रकियानुसार सुरक्षित स्थान पर डम्प किया जायेगा। मलबा कहीं भी वृक्ष आच्छादित क्षेत्र, जल स्रोतों में नही डाला जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता सिंचाई खण्ड लो0नि0वि0,चम्पावत	**सहायक अभियन्ता** सिंचाई खण्ड लो0नि0वि0 चम्पावत सहायक अभियन्ता सि0ख0, लो0नि0वि0 पीएमजीएसवाई, चम्पावत	**अधिशासी अभियन्ता** सिंचाई खण्ड लो0नि0वि0 चम्पावत अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0 चम्पावत

47

मलवा निस्तारण व्यय वहन प्रमाण पत्र

मक डिस्पोजल हेतु वनीकरण एवं अभियांत्रिकी कार्यों में जो भी व्यय होगा उसे ग्राम्य विकास विभाग द्वारा वन विभाग की मांग के अनुसार उपलब्ध करा दिया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0
चम्पावत

सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0 (सिं0ख0)

अधिशासी अभियन्ता
सिं0ख0, लो0नि0वि0
(पी0आई0यू0) पीएमजीएसवाई
चम्पावत (उत्तराखण्ड)

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0 (सिं0ख0)

प्रारुप–

परियोजना का नाम : जनपद चम्पावत में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत किमतोली से कोट मोटर मार्ग का निर्माण, लम्बाई 7.500 कि0मी0 के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि–

1–स्वीकृत मक डिस्पोजल प्लान के अनुसार ही मक डिस्पोजल का कार्य कराया जायेगा।

2–प्रस्तावित डम्पिग साइट नदी/स्ट्रीम/नाले से दूर स्थित है।

कनिष्ठ अभियन्ता सिंचाई खण्ड लो0नि0वि0,चम्पावत	सहायक अभियन्ता सिंचाई खण्ड लो0नि0वि0,चम्पावत सहायक अभियन्ता सि0ख0, लो0नि0वि0 पीएमजीएसवाई, चम्पावत	अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड लो0नि0वि0,चम्पावत अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0 चम्पावत